

निविदा प्रलेख आवेदन की प्रकृया

निविदा एकल मोहरबंद लिफाफे में दाखिल होनी चाहिए जिस पर कार्य का विवरण लिखा हो। एकल लिफाफे पर निम्नलिखित प्रलेख दर्शित होना चाहिए:—

आवरण 1 तकनीकी बोली (तकनीकी शर्तें, समर्थन के प्रलेख तथा आलेख)

आवरण 2 वित्तीय बोली (राशि)

आवरण 3 रू0 20,000/— का डी0 डी0 ई एम डी के लिए जो यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि0 को लखनऊ में देय हो।

रू0 1,000/— का डी0 डी0 निविदा मूल्य हेतु जो यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि0 को लखनऊ में देय हो।

आवरण 1 तकनीकी शर्तें, समर्थन के विश्वसनीय ठेकेदारी का प्रलेख तथा आलेख तकनीकीबोली में समाविष्ट है जिसे एक मोहरबंद लिफाफे में रखा जाएगा।)

आवरण 2 वित्तीय राशि में वित्तीय बोली समाहित है जो एक अलग मोहरबंद लिफाफे में होनी चाहिए)

आवरण 3 एक अलग लिफाफा जिसमें रू0 20,000/— का डी0 डी0 ई एम डी के लिए जो यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि0 को लखनऊ में देय हो तथा रू0 1,000/— का डी0 डी0 निविदा मूल्य हेतु जो यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि0 को लखनऊ में देय हो।

बोली लगाने वालों की पात्रता का मापदण्ड

यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि0 क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में प्रस्तावित पुनरुद्धार के कार्य का मूल्यांकन 20,00,000/— (बीस लाख रुपये मात्र)

बोली में भाग लेने वाले ठेकेदारों को निम्नलिखित परमादेश/आदेशों का पालन करना होगा।

1. यह कि उन्होंने कोई एक कार्य सफलतापूर्वक सीधे सरकारी संस्था या राष्ट्रीयकृत बैंक या पी0एस0यू या ख्याति प्राप्त निजी संस्था में मूल्यांकन 20,00,000/— (बीस लाख रुपये मात्र) का कार्य किया हों।
2. यह कि उन्होंने कोई दो कार्य सफलतापूर्वक सीधे सरकारी संस्था या राष्ट्रीयकृत बैंक या पी0एस0यू या ख्याति प्राप्त निजी संस्था में मूल्यांकन 20,00,000/— (बीस लाख रुपये मात्र) का कार्य किया हों।
3. यह कि वे सफलतापूर्वक सिविल/इन्टीरियर कार्य यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि0 के किसी आफिस में प्रमाण सहित सम्पन्न कर चुके हों।

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

बोली में भाग लेने वाले ठेकेदारों को निम्नलिखित प्रपत्र निविदा प्रलेख के साथ देने होंगे।

- कार्य के आदेश की प्रति जो संबंधित संस्था/कन्सल्टेंट द्वारा जारी किया गया हो और जिससे पात्रता की सीमा को प्रदर्शित करता हो।
- कार्य पूर्ण होने के प्रमाण की प्रति जो संबंधित संस्था/कन्सल्टेंट द्वारा जारी किया गया हो और जिससे उपरोक्त पात्रता की सीमा को प्रदर्शित करता हो।
- प्रशंसा पत्र, यदि कोई हो, जो संबंधित संस्था/कन्सल्टेंट द्वारा जारी किया गया हो और जिससे उपरोक्त पात्रता की सीमा को प्रदर्शित करता हो।
- (नाम, मूल्य, स्थान, कार्य का प्रकार सहित) पूर्व में किए गए कार्यों का विवरण प्रमाण सहित जो सीधे सरकारी संस्था या राष्ट्रीयकृत बैंक या पी0एस0यू या ख्याति प्राप्त निजी संस्था में किया हो।
- सीधे सरकारी संस्था या राष्ट्रीयकृत बैंक या पी0एस0यू में इमपेनेलमेंट का प्रमाण।
- कम्पनी/संस्था जहाँ आप कार्य करने का व्यौरा दे रहे हैं के किसी से संबंधित व्यक्ति का आवश्यक कान्टैक्ट का विवरण, जो निम्न प्रकार से हो:-

क्रम सं०	संबंधित का नाम	पद	संस्था	नम्बर

ठेकेदार का detail:-

ठेकेदार/ फर्म का नाम	
ठेकेदार/ फर्म का पता	
GST No	
PAN No	
मोबाइल न०	

यदि उपरोक्त संदर्भित कागजात तकनीकी बोली के साथ नहीं लगाए जाते हैं तो निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

निविदा देने वाले व्यक्तियों से आशा की जाती है कि उन्होंने इसके सभी नियमों व शर्तों को इन कागजातों के साथ दाखिल करते समय स्वीकार कर लिया है। निविदा देने वालों के मोहर सहित हस्ताक्षर निविदा प्रलेख के प्रत्येक पृष्ठ, जहाँ जैसा दिखाया गया है, पर होने चाहिए।

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

दिनांक:

ठेकेदार का मोहर एवं हस्ताक्षर

निविदा की सूचना

मार्फत मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि०, भू सम्पत्ति विभाग, आरिफ चैम्बर्स-1, द्वितीय तल, कपूरथला काम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ मदों के मूल्य के आधार पर मोहरबंद निविदाएँ, योग्य ठेकेदारों से जिनके पास इन्टीरियर, फरनिशिंग का कार्य करने के लिए उचित तकनीकी एवं वित्तीय योग्यताएँ हों यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० आरिफ चैम्बर्स-1, द्वितीय तल, कपूरथला काम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ में, तीन आवरण विधि से आमंत्रित की जाती है।

कार्य का नाम	सी 74 निराला नगर लखनऊ में नवीनीकरण फर्निशिंग का कार्य
निविदा प्रलेख जारी होने की तिथि	14 अगस्त 2017 जिसे 14 अगस्त 2017 से 04 सितम्बर 2017 के मध्य हमारी वेब साइट से डाउन लोड करना होगा।
कार्य का काल्पनिक मूल्य	20,00,000 /- (बीस लाख रुपये मात्र)
एडवरटाइजमेंट का दिनांक व दिन	13 अगस्त 2017, रविवार
वेबसाइट	http://www.uiic.co.in/
निविदा प्रलेख का मूल्य (वापस नहीं होगा)	1000 /- (केवल डी०डी०) (रुपये एक हजार मात्र)
धरोहर राशि (ई०एम०डी)	20,000 /- (केवल डी०डी०) (रुपये बीस हजार मात्र)
डी०डी० वास्ते	यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि०, लखनऊ में देय।
निविदा जमा करने की अंतिम	03:00 पी एम

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

तिथि	04 सितम्बर 2017
निविदा खुलने की तिथि	04:00 पी एम 04 सितम्बर 2017
निविदा जमा करने का स्थान	इस्टेट डिपार्टमेंट क्षेत्रीय कार्यालय, यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० आरिफ चैम्बर्स-1, द्वितीय तल, कपूरथला काम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ
कार्य का समय	60 दिन
अन्तरिम भुगतान पाने हेतु न्यूनतम खर्च का मूल्य	5,00,000/- या कार्य का 25 प्रतिशत
विलम्ब की दशा में मान्य क्षति	एक हफ्ते में 1 % से 10 % तक स्वीकृत संविदा मूल्य पर
दोष/त्रुटि की जिम्मेदारी का समय (DLP)	बारह महीने
निविदा की अवधि	21 दिन
सेल्स टैक्स, वैट, आई टी, सर्विस टैक्स, लीड एण्ड लिफ्ट आफ मैटीरियलस, वेस्टेजेज एण्ड वर्किंग इन सिफ्ट आदि	दिया गया मूल्य में सब कुछ शामिल है।
टेंडर जमा करने का प्रकार व विधि	त्रिपटीय प्रणाली (कृपया क्लाज 3 जनरल कंडीशन देखें)
श्रोत पर आरकर कटौती	इनकम टैक्स एवं वर्कस कांट्रैक्ट टैक्स जैसा लागू है

नोट:-

यू आई आई सी लि० इस लिए बाध्य नहीं है कि वह सब से कम कीमत का टेण्डर स्वीकृत करे और उसे यह अधिकार प्राप्त है कि बिना कोई कारण बताए किसी या सभी टेण्डर को निरस्त कर दे या टेण्डर की सम्पूर्ण प्रकृया को समाप्त करे।

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

टेण्डर करने वालों के लिए सामान्य नियम व शर्तें

1. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० इस्टेट डिपार्टमेंट
रीजनल आफिस एवं यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० आरिफ चैम्बर्स-1,
द्वितीय तल, कपूरथला काम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ की ओर से सी-74 निराला
नगर लखनऊ के प्रस्तावित ट्रांजिट हाउस का पुनरुद्धार/तैयार करना
2. ये प्रलेख साथ में होने चाहिए—
 - a. स्ट्रक्चर व घटक
(वस्तुस्थिति दर्शाने के लिए संस्था का स्ट्रक्चर, संवैधानिक वस्तुस्थिति, सरकार
से रजिस्ट्रेशन का व्यौरा, नाम व प्रबंधन पदवी व तकनीकीस्टाफ का व्यौरा आदि)
 - b. टर्न ओवर डिटेल
पिछले तीन वर्षों का कम से कम 40 प्रतिशत वित्तीय टर्नओवर
(आडिटेड बैलेंस शीट की कापी लगाएँ)
 - c. आई टी क्लियरेंस
पिछले तीन वर्ष की आई टी रिटर्न की कापी यात्रिक बोली के साथ संलग्न करें
 - d. ई एम डी राशि:
तकनीकीबोली के लिए ई एम डी की रकम का डीडी संलग्न करें।
3. निविदा का जमा करना

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

- a. निविदा प्रलेख मूल रूप से ही जमा किए जाए जिनमें निम्नलिखित विवरण दिए जाने चाहिए।
 - b. ठेकेदारों से निवेदन है कि वे नियम व शर्तों, विशेष वर्णन, आलेख व निविदा प्रलेख को नियत तरीके से लिखे जिससे कोई अन्य तथ्य न निकाला जा सके।
4. निविदा प्रलेख जिसमें प्लान, पूर्ण विवरण, विभिन्न प्रकार के किए जाने वाले कार्यों का नियत मात्रा और संविदा की शर्तों के बारे में दिया जाना चाहिये जिनकी संविदाएं स्वीकार की जाती हैं जिन्हें यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० रीजनल आफिस, कपूरथला काम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ से कार्यालय के कार्यकाल के दिन 10.00 ए एम से 03.00 पी एम के बीच 14 अगस्त 2017 से 04 सितम्बर 2017 के बीच कर्य किया जा सकता है।
 5. कार्य का साइट हिस्सों में उपलब्ध है/कराया जायेगा जो निम्न प्रकार से है।
 6. टेंडर, जिनको हमेशा सील कवर में रखना है जिसमें प्रोजेक्ट का नाम लिफाफे पर लिखा हो जो मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि०, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में कार्यालय के कार्यकाल के दिन 10.00 ए एम से 03.00 पी एम के बीच 14 अगस्त 2017 से 04 सितम्बर 2017 के बीच प्राप्त किया जायेगा।
 7. कार्य शुरू करने का समय लिखित आदेश प्राप्ति के पश्चात् तीन दिन के अंदर होगा।
 8. संविदा कर्मी को अंकों में तथा शब्दों में रेट तथा मूल्य बताना होगा। प्रत्येक आइटम का मूल्य का गणित कुल मूल्य सहित देना होगा।
 9. जमा होने वाली धरोहर राशि लागत 20,000/- (मात्र बीस हजार रूपये) जो केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से वास्ते यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० के लिए होगी जो टेण्डर पर लिखा होगा। प्रत्येक टेण्डर सील्ड कवर में हो जिस पर 'निविदा वास्ते पुनरुद्धार, तैयार करने का कार्य' वास्ते यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० ट्रांजिट हाउस सी 74 निराला नगर लखनऊ लिखा हो।

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

10. ठेकेदार की ई एम डी जिसकी बोली स्वीकृत हो गई है को पूर्णतया जब्त कर लिया जाएगा यदि वह प्रारम्भिक सिक्योरिटी निर्धारित समय में जमा नहीं करता है या निर्धारित समय में कार्य की शुरुआत नहीं करता जैसा कि भेजे गए पत्र में दर्शित है।
11. निविदा की स्वीकृति यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० पर निर्भर होगी जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकार करना नहीं कहा जा सकता है .
..... वे सभी निविदाएँ जो किसी एक शर्त को पूर्ण नहीं करती है या किसी प्रकार से अपूर्ण है अस्वीकार करने योग्य होगी। यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० को पूर्ण अधिकार है कि वह पूर्ण रूप से या अंशतः निविदा को स्वीकार करे और निविदाकर्ता का, यदि निविदा अंशतः स्वीकार की गई है, कोई अधिकार नहीं होगा कि वह निविदा के मूल्य या अन्य शर्तों में सुधार करे।
12. निविदा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का वार्तालाप पूर्णतया: वर्जित है और यदि कोई ठेकेदार जमा की गई निविदा के लिए किसी प्रकार का वार्तालाप करता है तो वह निरस्त करने योग्य होगा।
13. निविदा के समस्त मूल्य को प्रपत्र के संदर्भित जगह पर दर्शित करना होगा।
14. मूल्य पर आधारित निविदा जिसका प्रतिशत उच्च या निम्न हो श्रेष्ठता से निरस्त कर दी जाएगी।
15. निविदा की स्वीकृति पर ठेकेदार द्वार प्रायः स्वीकार किया हुआ प्रतिनिधि जो अपने मालिक/आर्किटेक्ट से निर्देश लेने के लिए जिम्मेदार होगा को मालिक को बताया जाएगा।
16. मूल्य को अंकों व शब्दों में लिखने के लिए विशिष्ट सावधानी रखनी होगी जिससे मूल्य में छेड़खानी न हो सके। कुल मूल्य को अंकों व शब्दों में लिखना होगा। 'प.' डिसीमल अंक के बाद जैसे रू० 2.12 'प.' और शब्दों में शब्द 'रूपया' पहले लिखा जाए गा तथा पैसा बाद में जब तक रूपया पूर्ण शब्दों में न हो तथा अंत में 'मात्र' लिखा जाएगा। यह डिसीमल के दो अक्षरों के बाद का होगा। जब वस्तु का मूल्य लिखा जाएगा तो केवल शब्द पास में

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

- लिखा जाएगा। इसके बाद एमाउण्ट लिखा जाएगा तथा इसे दूसरी लाइन में नहीं लिखा जाएगा।
17. यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० स्वयं को कम मूल्य की निविदा स्वीकृत हेतु प्रेरित नहीं करती है और उसे यह अधिकार प्राप्त है कि बिना कोई कारण बताए किसी या अंशतः टेण्डर को स्वीकार कर ले। ठेकेदार को उन कार्यों को जैसा रेट लिखा है करना होगा।
 18. किसी पदार्थ पर या किसी पूर्ण किए गए कार्य जैसे संविदा कर, सेवा का कर टर्न ओवर टैक्स वैट या कोई अन्य टैक्स जो इस संविदा से संबंधित है को ठेकेदार द्वारा दिया जाएगा और यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० किसी क्लेम का संज्ञान नहीं लेगी।
 19. टेण्डर स्वीकृति के लिए 10 दिनों तक शुरू होने की तारीख से खुला रहेगा यदि कोई ठेकेदार टेण्डर को उस समय से पहले वापस लेता है तो यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० को अधिकार होगा कि वह धरोहर की धनराशि को जब्त कर ले जो टेण्डर के साथ जमा की गई है।
 20. इस कार्य के लिए टेण्डर वे ठेकेदार या ठेकेदार आदि लोग नहीं कर सकते हैं जिन्होंने स्वयं ही पहले से उसी प्रकार का कार्य किया हुआ है। इन शर्तों का पालन न करने से यह मतलब होगा कि उन्होंने पहले से टेण्डर व टेण्डर के कार्य को देख लिया है जिसे शीघ्रता से निरस्त कर दिया जाएगा। ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह टेण्डर प्रपत्र को सभी पार्ट्स के लिए हस्ताक्षरित करे तथा जब कार्य मिल जाए तो यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० के सक्षम अथारिटी से ऐग्रीमेंट करे।
 21. ठेकेदार न सिर्फ सक्षम ठेकेदार ही न हो बल्कि उन्हें उचित प्रकार की एजेंसियों से भी ताल्लुक हो जैसे (a) बिजली का काम (b) एयर कंडीशनिंग (C) स्वास्थ्य संबंधी एवं पानी देने संबंधित, (D) बागवानी, (E) अग्निशमन या अन्य कोई संबंधित कार्य इत्यादि। डिजाइन व ड्राइंग से संबंधित किसी प्रकार का सुझाव हेतु मे० पंकज कुमार एण्ड एसोसिएट्स, श्री टावर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, अटल चौराहा जानकीपुरम एक्स.लखनऊ से किसी कार्य दिवा में 11.00 ए एम से 5.00 पी एम के बीच सम्पर्क कर सकते हैं।

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

22. यदि ठेकेदार या उसका कोई प्रतिनिधि तीन दिन से ज्यादा समय के लिए अनुपस्थित पाया जाता है तो ठेका समाप्त कर दिया जाएगा।

संविदा की सामान्य शर्तें

यदि किसी एक मानक की सूची के विषय का विवरण जो अन्य कहीं दिया गया है को छोड़कर और किसी अन्य विवरण या बनाई गई शर्तों के आधार पर स्टैंडर्ड प्रकार का कार्य होगा जो नियोजक/आर्किटेक्ट के निर्देश पर होगा।

1. व्याख्यान

इन शर्तों को बनाने के लिए, जो विशेष प्रकार का हो, सूची बद्ध हो, टेण्डर व एग्रीमेंट के लिए, निम्न शब्दों का वही अर्थ होगा जब तक कि अलग से इसकी जरूरत न पड़े।

नियोक्ता – नियोक्ता से तात्पर्य यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० स्टेट डिपार्टमेंट, कपूरथला काम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ या इसका कोई इम्प्लायी का उत्तराधिकारी जिसे अधिकार दिया गया हो।

शिल्पकार – शिल्पकार से तात्पर्य होगा पंकज कुमार एण्ड एसोसिएट्स, श्री टावर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, अटल चौराहा जानकीपुरम एक्स.लखनऊ या दूसरा इम्प्लायी रिप्रिजेंटेटिव जो नियुक्त किया गया हो।

ठेकेदार – से तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी, लीगल रिप्रिजेंटेटिव, एसाइनीज आदि होंगे।

साइट – साइट का मतलब जहा कार्य होना है जैसा कि लाल रंग की बाउण्ड्री से साइट प्लान पर दिखाया गया है जिसमें कोई निर्माण या बनावट है जिसे नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को प्रयोग हेतु दिया गया हो। जो साइट यहा बताई गई है उसका मतलब यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० ट्रांजिट हाउस, सी-74, निराला नगर लखनऊ से है।

साइट इंजीनियर – साइट इंजीनियर की नियुक्ति नियोक्ता के द्वारा होगी। नियोक्ता साइट इंजीनियर व सहायकों की संख्या भी सुनिश्चित करेगा जो

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

उनकी मदद के लिए होगा और यह भी कि साइट इंजीनियर स्थायी होगा या अस्थायी होगा। साइट के कार्य की सूचना देने से पहले ही साइट इंजीनियर को अपने पद का कार्य भार ग्रहण करना होगा। जब एक से अधिक साइट इंजीनियर नियुक्त किए गए हैं तो उनमें से एक को सीनियर साइट इंजीनियर सम्पत्ति विभाग द्वारा बनाना होगा। अन्य साइट इंजीनियर को सीनियर साइट इंजीनियर को रिपोर्टिंग करनी होगी।

चित्रण – कार्य चित्रण, विशेष वर्णन, मात्रा के अनुरूप होना चाहिए या कोई अगला चित्रण जो दिया जाएगा या कोई निर्देश दिए जाएंगे वे कार्य करते समय नियोक्ता द्वारा दिए जाएंगे। जो कार्य परिमाण की सूची सहित दिए गए हैं उनकी कापी साइट पर रखी जाएगी या साइट पर उस स्थान पर रखी जाएगी जो सुगमता से जब जब जरूरी हो तो नियोक्ता/शिल्पकार को मिल सके।

विस्तृत चित्रण के संबंध में जो जरूरी हो तो ठेकेदार उसे तैयार करायेगे या डायमेंशलन स्केच जिसे इस कार्य को लेने से पहले नियोक्ता या शिल्पकार द्वारा स्वीकृत किया गया हो।

ठेकेदार लिखित में पूछ सकता है कि मामले के सभी क्लियरीफिकेशन कही भी चित्रण, विशेष वर्णन अतिरिक्त मात्रा के लिए जो कम से कम 10 दिन पहले हो जब से इसे अमल में लाना हो क्योंकि नियोक्ता उस पर जवाब देने में सक्षम हो सके।

‘कार्य’ का मतलब कार्य करने से है या इस कान्ट्रैक्ट में ‘ऐक्ट आफ इनसाल्वेंसी’ का मतलब अधिनियम से है जो कि प्रेसिडेंसी टाउन्स इनसाल्वेंसी ऐक्ट से है या प्रोवीजनल इनसाल्वेंसी ऐक्ट से है या कोई एमेंडिंग स्टैट्यूट्स।

‘शिड्यूल आफ क्वांटिटी’ का मतलब शिड्यूल आफ क्वांटिटी से होगा जो कान्ट्रैक्ट का हिस्सा है। ‘दी शिड्यूल आफ क्वांटिटी’ का मतलब शिड्यूल आफ क्वांटिटीस से है जिसमें नियत मूल्य हो जो स्वीकृत दिए गए रेट के अनुसार हो।

2. सीमा

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

कार्य का तात्पर्य नियोक्ता के अनुसार कार्य जो चित्रण व मात्रा की सूची के अनुसार हो। जिसमें समस्त पदार्थों, मजदूरों, औजारों, उपकरणों व प्रबंधन जो निर्माण हेतु कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो, इसकी बढत के समय व पूर्णता पर, सेवायोजक/शिल्पकार के द्वारा बनाए गए अगले भाग का चित्र के अनुसार और उस दर्जे का हो। यदि कोई सुराग जो सुचारू रूप से कार्य के सम्पादन में आवश्यक हो और छूट गया हो तो उस रेखांकन या विशेष वर्णन की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से नियोक्ता/शिल्पकार की होगी। नियोक्ता/शिल्पकार को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वे अग्रिम चित्रण या लिखित निर्देश पूर्णता से विवरण सहित, जिन्हें यहाँ नियोक्ता/शिल्पकार के निर्देश के रूप में निम्नलिखित के संबंध में जाना जाएगा –

- a. विचलन राशि मात्रा या परिमाण के प्रकार व मात्रा पर, या जोड़ने या छूटने या किसी कार्य के प्रतिस्थापन पर
- b. चित्रण की उत्तमता या परिमाण में किसी प्रकार की भिन्नता या चित्रण एवं विशेष वर्णन में
- c. किसी ठेकेदार द्वारा किसी गलत पदार्थ का वहा आना या साइट से हटाया जाना या किसी अन्य पदार्थ का प्रतिस्थापन करना।
- d. किसी ठेकेदार द्वारा कार्य को नष्ट करना, हटाना या पुनः किसी कार्य का करना जो पहले किया जा चुका है।
- e. किसी व्यक्ति को खारिज करना जो कार्य में लगाया गया हो
- f. किसी किए गए कार्य को जाँच के लिए खोलना
- g. किसी गलती को सुधारना या ठीक करना

ठेकेदार को नियोक्ता/शिल्पकार के निर्देश के अनुसार किसी कार्य को करना होगा जबकि पूर्व निर्दिष्ट में है कि ठेकेदार या उसके उत्तराधिकारी को कार्य के बारे में नियोक्ता/शिल्पकार के द्वारा मौखिक निर्देश, निर्देशन, या स्पष्टीकरण यदि कोई विचलन है तो वह ठेकेदार को सात दिन के अन्दर लिखित स्पष्टीकरण में होना चाहिए। कोई कार्य जिसका मूल्य सूची में विशेषतया: न दिया गया हो को बिना नियोक्ता/शिल्पकार की लिखित

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

अनुज्ञा के लिया जा सकता है। जिसका मूल्य, मूल्य की सूची में नहीं दिया गया है का मूल्यांकन नियोक्ता द्वारा शिल्पकार की सहमति से किया जाएगा जैसा कि उप वाक्य 'विचलन' में दिया गया है। कारखाने में बने सामान जिसपर बी आई एस (व्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्डस) लिखा हो, जो उपलब्ध है, केवल बी आई एस चिन्हित वाले पदार्थों का ही प्रयोगा होगा।

3. टेण्डर देने वाला साइट का स्थल निरीक्षण कर सकता है:

विचार करने वाले ठेकेदार स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं और अपने को पूर्णरूप से स्थानीय तरीके, कार्य की प्रकृति, सुविधा, ट्रांसपोर्ट के प्रकार, मजदूरी व सामान, मैटीरियल पर पहुँच व उसे इकट्ठा करने से संबंध व कूड़े करकट की निकासी को जरूरत के हिसाब से उसके संज्ञान में कर सकते हैं। टेण्डर देने वालों को मूल्य के साथ ढोने का खर्च, किराया व अन्य खर्चे जिसमें जरूरी खर्चे शामिल हैं जैसे पुलिस पाबंदी व ढुलाई आदि जो कार्य को सही अंजाम देने में आवश्यक हो जैसा कि चित्रण में दिखया गया है। टेण्डर देने वाले सफल व्यक्ति कार्य के शुरू करने की याचना नहीं कर सकते हैं जो कि नियोक्ता/शिल्पकार की सोच के अनुसार उनका अस्तित्व कार्य शुरू होने के पहले है।

4. टेण्डर

टेण्डर का सम्पूर्ण प्रपत्र जो ठेकेदारों को जारी किया गया है, को पूर्ण फीस के साथ आखिरी पृष्ठ पर हस्ताक्षर व अन्य पृष्ठों पर इनिशियल बनाकर दाखिल होगा जिससे यह पता चलता है कि ठेकेदार ने टेण्डर को स्वीकार कर लिया है।

मात्रा की सूची निम्नलिखित प्रकार से पूर्ण की जाएगी

1. रेट का कालम को स्याही से शब्दों व अंकों में स्पष्ट रूप से भरना होगा।

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

- II. मूल्य का कालम प्रत्येक मदों के लिए तथा प्रत्येक मूल्य के लिए तथा प्रत्येक द्वितीयकों के साथ भरा जाएगा जैसा कि सुची की शर्तों में दिया गया है।
- III. प्रत्येक संशोधित स्थान पर इनीशियल होना चाहिये।
- IV. रेट के कालम में दूसरे प्रयुक्त होने वाले सामानों को लिखा जाएगा।
- V. दूसरे प्रयुक्त होने वाले सामानों के आइटम के कालम को नहीं लिखा जाएगा में जिसमें मात्रा बताई गई होगी।
- VI. यदि कोई गलती होती है तो टेण्डर में दिए गए रेट जो 'मूल' से चिन्हित होगा मान्य होगा।

निविदा देने वाले टेण्डर पेपर में किसी प्रकार से चिन्हित करना, लिखना या सुधार करना नहीं किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए अलग से टेण्डर में लगे पेपर पर वह अपनी संस्तुति दे सकता है। नियोक्ता कम मूल्य के या किसी भी टेण्डर को निरस्त करने का अधिकार अपने पास रखता है तथा बिना किसी कारण को बताए टेण्डर के किसी हिस्से को या टेण्डर को हिस्सों में बॉटकर या तोड़कर और कार्य को किसी फर्म या फर्मस के स्पेशलिस्ट को देकर उनका निस्तारण कर सकता है। टेण्डर देने वाले विगत हो कि टेण्डर केवल आइटम रेट पर आधारित है तथा उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक व हर आइटम के रेट सही, प्रभावी एवं स्वयं सिद्ध होना चाहिए। नियोक्ता/शिल्पकार के द्वारा यदि बुलाया जाता है तो पूर्ण रूप से सभी या किसी का रेट देना होगा। नियोक्ता/शिल्पकार ठेकेदार की समीकरण को समझने के लिए बाध्य नहीं होगा। यदि कोई ठेकेदार किसी आइटम

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

को टेण्डर में नहीं लिखता है तो उन्हें वह आइटम को पूर्ण रूप से जो साइट पर आवश्यक होगा करना होगा और उसके लिए कोई पेमेंट नहीं होगा जो एक प्रकार से उसे निविदा में न देने के लिए पेनाल्टी के रूप में होगा। कार्य के लिए इस प्रकार से पेमेंट होगा 'नापा हुआ कार्य' जो कार्य वास्तव में हुआ है न कि 'लगभग कार्य' जब तक कि निविदा में स्पष्ट न दिया गया हो।

सभी प्रकार के कार्य जो मात्राओं की सूची में दिए गए हैं को पेमेंट के लिए समझा जाएगा और दिया जाएगा जिसमें हर प्रकार से पूर्ण कार्य आरम्भिक व पूर्ण हो जिसका चित्रण, विशेष वर्णन, मात्रा जो सूची के अनुसार हों और कोई अलग से पेमेंट नहीं किया जाएगा। ठेके के संबंध में किसी भी आइटम के बारे में 'लगभग भुगतान' के संबंध में वास्तव में हुए कार्य के बाबत ही पेमेंट होगा जो 'लगभग किए गए कार्य' से संबंधित होगा जिसका निर्धारण नियोक्ता के द्वारा होगा।

नियोक्ता का अधिकार होगा कि वह किसी कार्य को जोड़ सकता है, छोड़ सकता है जो चित्रण या विशेष वर्णन या पदार्थ की सूची में शामिल किया गया है जिसको मात्रा के अनुसार मूल्यांकन लिखित होगा लेकिन ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का जोड़ना, छोड़ना या बदलाव करना बिना नियोक्ता के अधिकृत किए बगैर मान्य नहीं होगा। कोई बदलाव नहीं है तो ठेका समाप्त हो जाएगा।

5. एग्रीमेंट

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

सफलता प्राप्त ठेकेदारों को एक एग्रीमेंट, जो आस पास के वातावरण से मेल खाता हुआ हो, तैयार किया गया हो, को हस्ताक्षरित करना होगा और स्टैम्प या कानूनी खर्च देना होगा।

6. कर एवं चुंगी

ठेकेदारों को अपनी बोली के मूल्य में सभी कर रायलटी, सर्विस टैक्स, जी एस टी, टी डी एस , सेस व वैट या किसी अन्य टैक्स या किसी स्थानीय कर यदि लागू है तो शामिल कर लिया जाना चाहिए।

7. सामयिक पूँजी

सभी सामयिक पूँजी जिसकी मात्रा का सूची पी एस की तरह से वर्णन किया गया है सामान के खरीदार को केवल दी जाएगी तथा ठेकेदार इसमें किसी प्रकार की चतुराई या नियत करना नहीं होगा। इस प्रकार के किसी लाभ के लिए चतुराई या नियत करने की कीमत (जिसमें ढुलाई) को अलग से ठेके की कीमत में शामिल किया जाएगा जैसा कि परिमाण की सूची में दिया गया है। इस मद में जो राशि होगी में नियोक्ता का निर्णय ही मान्य होगा। ठेकेदार को इन वस्तुओं के सप्लायर को उनके द्वारा दिए गए प्रमाण या आदेश पर राशि अदा करनी होगी जो नियोक्ता/ शिल्पकार द्वारा जारी किया गया होगा।

8. किए जाने वाले कार्य की मात्रा

सूची में दिए गए मात्रा से तात्पर्य है कि यह पूर्ण कार्य को सम्मिलित करता है जो चित्रण/टेण्डर में दिखाया गया है लेकिन नियोक्ता को अधिकार होगा कि वह किसी एक आइटम को कार्य के क्षेत्र से अलग कर दे या किसी हिस्से को या पूर्ण रूप से करवाये या उससे ज्यादा बिना कोई कारण बताए करवाये।

9. नियोक्ता के द्वारा किसी अन्य की नियुक्ति

नियोक्ता को अधिकार होगा कि वह किसी कार्य या उसके हिस्से को जो इस संविदा का हिस्सा है या कोई कार्य जो इस संविदा में नहीं है किसी

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

अन्य संस्था या व्यक्ति से करवा सकता है तथा ठेकेदार को सभी उचित सुविधा उस कार्य को करने के लिए उपलब्ध कराएगा और उस कार्य के सम्पादन में वह अस्थायी निर्माण को भी प्रयोग कर सकता है। मुख्य ठेकेदार को इस मामले में सभी सहयोग देना होगा।

10. धरोहर राशि व सुरक्षित जमा पूंजी

ठेका लेने वालों को धरोहर राशि के रूप में टेण्डर जमा करते समय अन्दरूनी या पूर्णता के कार्य हेतु निविदा मूल्य हेतु मूल्यांकन 20,00,000 /- (बीस लाख रुपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० को अन्दरूनी या बाहरी कार्य हेतु हो दिया जाएगा। नियोक्ता को ई एम डी के व्याज के लिए देयता नहीं होगी। कार्य का फैसला देते समय न सफल होने वाले ठेकेदारों की धरोहर राशि उन ठेकेदारों को बिना व्याज के वापस की जाएगी।

11. ठेकेदार को सभी जरूरतें देनी होगी

ठेकेदार को चित्रण, चित्रण की सूची, मात्रा की सूची विस्तार वर्णन को ध्यान में रखते हुए इसके अनुसार कार्य को सही ढंग से पूर्ण कराने के लिए समस्त जरूरत का सामान उपलब्ध कराना होगा चाहे वह इसमें विशेषतया: बताई गई हो या न बताई गई हो, पूर्व निर्देशन के अनुसार उसका अनुमान लगाया जा सकता हों। ठेकेदार को कार्य के अनुसार अपनी ओर से अपने लिए स्वच्छ जमीन का पानी उपलब्ध कराना होगा। ठेकेदार को जमीन का पानी या ताजे पानी को पाने के लिए किए खर्च के लिए नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रत्येक मद में लिखे गए रेट में सभी चीजें जो संविदा के कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होगा, संविदा के अंतर्गत होगा और यूनिट प्राइस से अलग किसी आवश्यक या आकस्मिक कार्य के लिए कोई अतिरिक्त देयता नहीं होगी। केवल विशेष वस्तुओं को छोड़कर मजदूरी व टैक्स व करों सहित होगा, यदि टेण्डर प्रपत्र में कहा गया है। किसी कार्य को करने के लिए, सभी टूल्स, टैकेल्स, मशीन व सामान व अन्य सामान जैसे अस्थाई निर्माण, स्टेज, प्लेकिंग, टिम्बरिंग, स्ट्रुटिंग, सोर्टिंग पंपिंग, फेन्सिंग, बोर्डिंग, वाचिंग व रात्रि के

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

समय लाइटिंग जो केवल किए गए कार्य की सुरक्षा में न होकर जनता के लिए भी होगी और किसी संलग्न मार्ग, स्ट्रीट, दीवाल, मकान, बिल्डिंग, अन्य निर्माण, अन्य चीजों की सुरक्षा के लिए भी ठेकेदार अपनी मीटिंग का स्थान, अस्थाई निर्माण, टैगिंग, प्लैकिंग, टिंबरिंग, स्ट्रुटिंग, शोरिंग, इत्यादि को निकाल सकेगा या जैसा आदेश हो या सभी को पुनः लगाएगा जिसको कार्य करने के समय हटाया था जो नियोक्ता या शिल्पकार के अनुसार होगा। ठेकेदार को एक अस्थाई रोड साइट पर बना सकता है जो ठेके के कार्य को सम्पादन करने में सहायक हो, उसको समतल करेगा यदि चित्रण के अनुसार आवश्यक हो तो परन्तु अन्य कारण से नहीं। कार्य पूर्ण होने पर यह रोड तोड़ दी जाएगी और चित्रण के अनुसार समतल की जाएगी या नियोक्ता अन्य के लिए निर्देश दे। ठेकेदार हर समय नियोक्ता द्वारा लगाए गए श्रमिकों को पहुंचने देगा या जो निर्माण पर लगे हुए हैं और उनको बिजली पानी, लीव, कोई होल, ग्रोव इत्यादि। जहाँ नियोक्ता द्वारा निर्देश दिया गया है कि ऐसे वर्कमेन पाइप लगाएँगे या बिजली के तारों को लगाएँगे या कोई स्पेशल फिटिंग करेंगे, इत्यादि में ठेकेदारों को दिए गए रेट पर उपरोक्त कार्यों को शामिल करना होगा।

12. पूर्णता का समय/समय बढ़ाना और प्रगति का चार्ट

1. पूर्णता का समय: समस्त कार्य को हर तरह से दिए गए 120 दिन में पूरा करना होगा। कार्य शुरू करने का समय स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 3 दिन के अन्दर शुरू हो जाएगा या जिस तारीख को साइट को सौंपा गया, जो भी पहले हो। समय ठेके का सत्व है जिसे कठोरता से ठेकेदार द्वारा पालन करना होगा। कार्य को तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि नियोक्ता या शिल्पकार लिखित पुष्टि नहीं करते हैं कि काम समाप्त हो गया है और डिफेक्ट लायबेलटी इस सार्टिफिकेट के इशु होने के दिनांक के बाद शुरू होती है।
2. समय का बढ़ाना: नियोक्ता या शिल्पकार के अनुसार यदि कार्य में देरी है (a) यदि मौसम बहुत खराब है (b) नियोक्ता के निर्देशन से और प्रोसीडिंग हुई और कुछ डराया या धमकाया गया या आस पास के लोगों, पड़ोस के मालिक या (c) कार्य के कारण या दूसरे ठेकेदारों जो

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

नियोक्ता द्वारा नियुक्त किए गए हैं की देरी से तथा जिनका विवरण विशेष वर्णन में नहीं है (d) या कुछ अन्य चीजें जोड़ दी गई हैं या (e) या कार्मिकों के साझेदारी से या स्ट्राइक या लाक आउट जो कि व्यापार के भवन को प्रभाव में लेता हो (f) कोई अन्य कारण जिससे नियोक्ता यह समझे कि यह सब ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर है तो कार्य पूर्ण होने के लिए उचित समय कार्य को पूर्ण करने के लिए नियोक्ता दे सकता है। यदि नियोक्ता उचित समय पर साइट का कब्जा नहीं दे पाता है तो पूर्ण करने के समय को बढ़ाया जाएगा।

इस प्रकार की स्ट्राइक या लाक आउट में जैसा कि ऊपर कहा गया है नियोक्ता ठेकेदार को लिखित सूचना तुरन्त देगा। यद्यपि वह भरसक प्रयास करेगा कि देरी को रोका जा सके, और कार्य को पूर्ण करने के लिए वह समय बढ़ाने के लिए यह सब करेगा जो नियोक्ता के लिए आवश्यक हो (जो ठेकेदार पर बाध्य होगा) स्ट्राइक या लाक आउट के समाप्त होने पर घोषित किया जाएगा इस प्रकार समय मिलने के साथ ठेकेदार यह निर्णय व घोषित करेगा कि अंतिम पूर्णता की दिनांक क्या होगी। धारा 13 के प्रोविजन जो भुगतान जो निक्षेपित हानि से संबंधित है पर विचार किया जाएगा जैसा कि बढी हुई तारीख जो नियोक्ता द्वारा नियत की गई थी को प्रतिस्थापित किया जाएगा और हानि को घटाया जाएगा।

3. कार्य की प्रगति: निर्माण के दौरान ठेकेदार आनुपातिक कार्य के प्रगति कार्य शुरू होने के तुरन्त बाद कार्य के हिसाब से चार्ट सबमिट करेगा जैसा कि नियोक्ता या शिल्पकार द्वारा तय है। ठेकेदार समय से एडवांस में अनुपलब्ध पदार्थों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाएगा जो कार्यक्रम के सारणी में दर्शित किया जाएगा ता कि प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में विलम्ब न हो।

13. नुकसान का हिसाब साफ रखना

यदि नियोक्ता या शिल्पकार के अनुसार उनकी संतुष्टि का कार्य नियत समय में न पूर्ण होने पर ठेकेदार नियोक्ता को 1 % प्रति सप्ताह स्वीकृत संविदा मूल्य, जैसा कि टेण्डर में दिया गया है, पर जो नुकसान का हिसाब होगा और

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

10 % जो स्वीकृत संविदा के मूल्य का होगा, का हिसाब होगा जब तक कार्य पूर्णता की तिथि पर शुरू नहीं हुआ या अपूर्ण हुआ।

14. प्रयोजित व मालिक के नोटिस और पेटेंट्स

ठेकेदार को सिद्ध करना होगा कि वे कार्य के बारे में कानून बनाने वाली सभा का कार्य के बारे में बना कानून और रेगुलेशन्स एवं बाई लाज किसी अथारिटी, पानी, बिजली व अन्य कम्पनियों या उन अथारिटी जिनके संबंध में घटक प्रस्तावित किए गए जिनका संबंध पहले अगला और फिर चित्रण से अलग या

ठेकेदार सब को नोटिस देना नियत करेगा जिसे ऐक्ट ने कहा है। रेगुलेशन्स व बाई लाज किसी भी अथारिटी को दिए जा सकते हैं या किसी एक पब्लिक आफिसर को और किसी कार्य के संबंध में सभी फीस चार्ज होगी और रसीद नियोक्ता के पास होगी। कार्य के संबंध में ठेकेदार नियोक्ता को सभी क्लेम से जो पेटेंट हक, रायल्टी, बिल्डिंग, सडक या जनता के मेम्बर को हानियों के संबंध में हों, बचाएगा और सभी कृत्यों जो क्लेम से संबंधित हों से नियोक्ता किसी प्रकार के नुकसान से बिना हानि हुए बचा रह सकता है और हर प्रकार की कास्ट, ऐक्शन, कास्ट या खर्च।

15. पहुँच

नियोक्ता का कोई एक अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि वर्कशाप, फ़ैक्ट्री, पर या किसी भी स्थान पर पहुँचने के लिए स्वतंत्र होगा जहाँ मैटीरियल है या कार्य के लिए बनाए जाते हैं या किसी अन्य स्थान जहाँ मैटीरियल पडा है और वहाँ से प्राप्त किया जाता है और ठेकेदार यू आई आई सी लि० को सभी सुविधा देगा या उनके प्रतिनिधियों को जाँच व परीक्षण या मैटीरियल व कर्म कौशल के परीक्षण के लिए आवश्यक हो। नियोक्ता के प्रतिनिधियों के अलावा किसी अन्य को किसी भी समय बिना लिखित अनुज्ञा के नहीं जाने दिया जाएगा।

16. मैटीरियल, कर्म कौशल, सैम्पल, पदार्थ की जाँच

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

सभी कार्य विशेष और विशेष वर्णन के लिए दिए गए या जिनको किसी एक प्रकार से पदार्थ के साथ सबसे अच्छी तरह से करना है विभिन्न प्रकार के योग्यता प्राप्त जो हर प्रकार से पूर्ण रूप से संतुष्ट करता हो।

17. अनुचित कार्यों का हटाना

समय समय पर नियोक्ता कार्यावधि के दौरान लिखित आदेश कर सकता है कि किसी पदार्थ को उचित समय पर या जैसा कि समय आदेश/विशेष वर्णन किसी पदार्थ के बारे में दिया गया है जो नियोक्ता/शिल्पकार की राय से विशेष वर्णन या अनुज्ञा के अनुरूप नहीं है को हटाया जा सकता है। किसी किए गए कार्य का प्रतिस्थापन या सही पुनः निरीक्षण जो कि किसी पदार्थ के साथ जिस कार्य कौशल से किया गया है वह चित्रण व विशेष वर्णन या अनुज्ञा के अनुरूप नहीं है की कीमत या खर्च जो आए है या आए होंगे जैसा कि नियोक्ता/शिल्पकार ने सर्टीफाइ किया है, को एजेंसी जिसने कार्य किया है को अदा करने से इंकार किया जा सकता है और जिसे ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा या जो रकम ठेकेदार को मिलने वाली है से घटाया जाएगा। किसी प्रकार का प्रमाण जो शिल्पकार ने दिया है से ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता है जिसका संबंध खराब कार्य व खराब पदार्थ से है।

18. साइट इंजीनियर

साइट इंजीनियर का मतलब एक व्यक्ति जो नियुक्त है और नियोक्ता द्वारा उसे निगरानी के लिए वेतन दिया जा रहा हो। ठेकेदार साइट इंजीनियर को सभी सुविधाएँ देगा और कार्य व पदार्थ के निरीक्षण के लिए सहायक होगा और कार्य व पदार्थ की नाप की चेकिंग के लिए भी। ठेकेदार के किसी जरूरत को खण्डित, बदलना, परिवर्तन करना, बढ़ाना या ढील देना या किसी दिन के कार्य की अनुमति देना, जोड़ना, बदलना, झुकाव करना या छोड़ देना या अलग का कार्य कराना नहीं कर सकेगा जब तक कि नियोक्ता/शिल्पकार का लिखित आदेश नहीं होता है। साइट इंजीनियर को अख्तियार होगा कि वह ठेके या प्रधान कर्मचारी को कार्य या पदार्थ के बिना अनुज्ञा के लिए नोटिस दे सकता है और इस प्रकार का कार्य को स्थगित कर सकता है या इस प्रकार के पदार्थ को जब तक नियोक्ता का निर्णय नहीं

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

आ जाता है, विखण्डित कर सकता है। कार्य का समय समय पर इंजीनियर द्वारा निरीक्षण नियोक्ता के प्रेमसिस के डिपार्टमेंट से किया जा सकता है या शिल्पकार से। लेकिन ऐसा परीक्षण ठेकेदार को किसी डिफैक्ट को सुधार करने से मुक्त नहीं करता है जिसे किसी भी स्तर पर होना पाया जाता है या पूर्ण होने के उपरांत जो क्लोज के सीमा के अंदर हो। ठेकेदार केवल नियोक्ता/शिल्पकार से ही निर्देश ले सकते हैं।

19. ठेकेदार के सेवकों

ठेकेदारों को यह अधिकार होगा कि वे टेकनिकली क्वालीफाइड और सक्षम सुपरवाइजर को नियुक्त करें जो हर समय कार्य के समय के दौरान नियोक्ता/शिल्पकार के उचित निर्देश ले व पालन करें। ठेकेदार को कम से कम एक अनुभवी इंजीनियर साइट इंचार्ज के रूप में कार्य के सम्पादन हेतु नियुक्त करेगा। कार्य के संबंध में ठेकेदार उन व्यक्तियों को रखेगा जो उचित रूप से क्षमता रखते हैं और कार्य को योग्यतानुसार करने की क्षमता रखते हैं। ठेकेदार मजदूरों को भी रख सकता है जैसा उचित प्रतीत हो। 16 वर्ष से कम उम्र का मजदूर और वह भारतीय न हो को काम में लगाया जा सकता है। ठेकेदार द्वारा दिया गया कोई एक मजदूर को दिहाडी के आधार पर पूर्ण रूप से या सामयिक तौर पर काम पर लगाया जा सकता है जो नियोक्ता, या उसके प्रतिनिधि के सम्पूर्ण अधिकार में होगा जो यह समझा जाएगा कि यह ठेकेदार द्वारा नियुक्त किया गया है।

ठेकेदार को, उनके रिप्रिजेण्टेटिव लेबर के कानून के बारे के हिसाब से कार्य करना होगा।

a- पेमेंट आफ वेजेस ऐक्ट

b- इम्प्लायर्स लायबेलटी ऐक्ट

c- वर्कमेन कम्पनशेसन ऐक्ट

d- कान्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) ऐक्ट 1970 व सेंट्रल रूल्स 1971

e- अप्रेंटिस ऐक्ट 1961

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

f- कोई अन्य ऐक्ट या इन्वेंटमेंट जिनका संबंध रूल्स से हो जो समय समय पर बनाए गए हों।

ठेकेदार नियोक्ता को बिना किसी नुकसान या वर्कमेन के किसी क्लेम से सुरक्षित रखेगा और क्षतिपूर्ति करेगा और यदि किसी क्लेम में नियोक्ता को कास्ट या अन्य खर्चे इत्यादि से भी मुक्त रखेगा। ठेकेदार अपनी कीमत पर राज्य के किसी स्वास्थ्य के डाक्टर की सलाह पर जरूरी आवश्यकताओं, वातावरण में स्वच्छता जहाँ ठेकेदार के मजदूर कार्य कर रहे हैं वहाँ छोटी माता, कालरा, प्लेग, टाइफाइड, मलेरिया और अन्य छूत की बीमारियों से बचाव के लिए कार्य करेगा। ठेकेदार हर समय साफ पीने का पानी मजदूरों के प्रयोग के लिए जो कार्य में लगे हुए है का प्रबंध करेगा और कार्य पूर्ण होने की दशा में यह सब को हटवा देगा। कार्य होने में या आस पास के वातावरण में किसी प्रकार का बाधा या उत्पात को हटाने का उचित प्रबंध करना होगा। जो मजदूर कार्य में लगे हुए है उनके लिए ठेकेदार फर्स्ट एड का इन्तजाम भी करेगा। 24 घण्टे के अन्दर वह किसी हुई हुई घटना की सूचना जो कार्य के स्थल पर हुई है तो नियोक्ता को सूचित करेगा और किसी सक्षम अधिकारी को भी सूचित करेगा जैसा कि कानूनन आवश्यक हो।

20. मजदूर को कार्य से हटाना

ठेकेदार नियोक्ता की संस्तुति पर किसी व्यक्ति जो उसके द्वारा नियुक्त किया गया है, जो नियोक्ता की राय में सही ढंग से कार्य करने वाला नहीं है या अक्षम है या दुराचारी है तुरंत हटा सकता है। इस प्रकार के कार्य का मतलब किसी क्लेम विरुद्ध नियोक्ता या किसी अधिकारी या नियुक्त व्यक्ति से नहीं होना चाहिए।

21. व्यक्ति या सम्पत्ति की हानि का बीमा

ठेकेदार किसी कार्य या कार्मिक की चोट, जानवर या चीज, बने हुए भवन आदि की हानि, सजावट का सामान, जो कि गलत ढंग से किसी कार्य को करने से हुआ हो खुद के द्वारा या किसी सब-कांट्रैक्टर के द्वारा या किसी अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य के लिए जिम्मेदार होगा चाहे यह हानि लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हुई हो जिसमें सडक,

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

फूटपाथ, या किसी इमारत की हानि जो इस ठेके का हिस्सा हो बरसात, हवा या मौसम की कठोरता या रूक्षता से हुई हो। ठेकेदार नियोक्ता की क्षतिपूर्ति करेगा और बिना नुकसान के रखेगा जिसमें सभी खर्च जो ऐसी चोट या व्यक्ति की हानि से हुए हों जैसा कि ऊपर कहे गए क्षतिपूर्ति ऐक्ट में गया है या हानि क्लेम के कारण हुई हो। नियोक्ता स्वतंत्र होगा और वा किसी भी हानि के अंश, क्षतिपूर्ति, कास्ट और खर्च जो किसी क्लेम से हुए हों या ठेकेदार का कोई ड्यू या होने वाला ड्यू को निकाल सकती है।

22. बीमा

जब तक यदि किसी अन्य स्थान पर न कहा गया हो, ठेकेदार कार्य जब तक उसका सही ढंग से सम्पादन नहीं हो जाता है को किसी हानि, नुकसान, आग, भूकम्प, बाढ आदि के लिए बीमित करेगा। इंश्योरेंस किसी अनुमोदित कम्पनी से नियोक्ता द्वारा जुडे हुए नामों से ऐसी राशि के लिए या कोई अगली राशि या जैसा कि नियोक्ता, प्रीमियम, या अगला धन को स्वीकृत करते हुए होना चाहिए। ठेकेदार पालिसी व प्रीमियम की रसीद को नियोक्ता के समक्ष कार्य आदेश के जारी होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर दाखिल करना होगा या अन्य कोई निर्देश हो तो उसके अनुसार। ठेकेदार की गलती से यदि जैसा कहा गया है इंश्योर नहीं होता है तो नियोक्ता अपनी ओर से इंश्योर कर सकता है और किसी दिए गए बिल में से यह रकम को बिल जो ठेकेदार को ड्यू हो से काट सकता है। जैसे ही पालिसी का क्लेम सेटिल हुआ है या कर्मकार को इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा पुनः कार्य पर ले लिया गया है तो, वे यह चुनाव करे कि उन्हें ऐसा करना है तो ठेके की कार्यवाही को खतम करने की कार्यवाही करने का सर्तकता के साथ विचारण कर सकते हैं। आग के कारण पुनः कार्य शुरू होने की दशा में नियोक्ता को अतिरिक्त समय देना होगा या जैसा नियोक्ता करे।

23. एकाउण्ट रिसिप्ट और वाउचर

ठेकेदार नियोक्ता या शिल्पकार की माँग पर उन्हें सभी इनवाइस हिसाब, रसीदें, या अन्य दूसरे दस्तावेज के दे सकता है जिनका संबंध ठेके के कार्य से रहा हो। यदि ठेकेदार ने जरूरत से कम मैटीरियल प्रयोग किया है जितना प्रयोग होना चाहिए तो मात्रा के अंतर की राशि को उसके ड्यूज से

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

घटाया जाएगा। पदार्थ के कीमत के संबंध में जिसे इस ठेके के दौरान प्रयोग में लाना है, ठेकेदार के लिए नियोक्ता का निर्णय अंतिम व बाध्य होगा। किसी कार्य का परिमाण लेने से पहले ठेकेदार को, साइट इंजीनियर या उसका अधीनस्थ जो उसके द्वारा लगाया गया है, नोटिस देना होगा। यदि ठेकेदार नाप लेते समय नोटिस के बाद भी नहीं पहुंचता और नाप लेने के एक हफ्ते में काउण्टरसाइन नहीं करता या अन्तर को दर्ज नहीं कराता तो साइट इंजीनियर या उसके द्वारा नियुक्त अधीनस्थ का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्य होगा और उसे झगडा करने का कोई अधिकार न होगा।

24. पेमेंट्स

सभी बिल्स ठेकेदार द्वारा दिए गए नियोक्ता/शिल्पकार के प्रोफार्मा के अनुसार तैयार किए जाएंगे। एक अंतरिम बिल हर हफ्ते बनेगा जो न्यूनतम कीमत के अनुरूप होगा जैसा कि इस डाकूमेंट में है। सही फार्म में तैयार बिल विस्तृत नाप जोख या किए गए कार्य के स्तर से हो के साथ होना चाहिए जो परिमाण के समतुल्य हो जिसमें सभी पहले के किए गए भुगतानों आदि का जिक्र हो। ठेकेदार के पहले के बिलों को देखते हुए उचित जॉचोपरान्त नियोक्ता/शिल्पकार एक सार्टिफिकेट देगा जिसमें ठेकेदार की देयता नियोक्ता के द्वारा अंकित होगी और ठेकेदार उस मूल्य को पाने का हकदार होगा जो समयावधि के अन्दर हो जैसा कि इस प्रलेख में दिया गया है। जो मूल्य लिखा गया है अंतरिम प्रमाण पत्र में वह कुल कीमत का काम किए गए का ठेके के अनुसार बिल की तिथि तक नियोक्ता द्वारा सुरक्षित जमा पूंजी को कम करते हुए होगी जैसा कि क्लॉज 10 में दिया गया है जिसमें टी डी एस की रिकवरी व किश्त जो पहले दिया जा चुका है जैसा कि पहले कहा गया है

पेमेंट की शर्तें

चालू बिल (आर. ए.) तथा अंतिम बिल को प्रकृया के तहत बनाया जाएगा –

देने के लिए अनुमोदित द्वारा यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० निम्न प्रकार से होगा –

1. 20 % प्रथम आर ए बिल 40 प्रतिशत तक के काम का

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

2. 20 % द्वितीय आर ए बिल 70 प्रतिशत तक के काम का
3. 55 % प्रथम आर ए बिल 100 प्रतिशत तक के काम का
4. 5 % निक्षेपित मद का देना पूर्णता के 4 महीने के बाद

25. अंतिम भुगतान

अंतिम भुगतान शिल्पकार के पूर्णता के सार्टिफिकेट के साथ होगा। बिलों का भुगतान सुरक्षित जमा पूँजी को काटते हुए की जाएगी जैसा कि क्लोज 10 में दिया गया है जिस पूँजी को कार्य समाप्ति के बाद डी एफ एल की अवधि के बाद शिल्पकार या नियोक्ता के हिसाब से उनके सार्टिफिकेट के ठेकेदार ने सभी कमियों को पूर्ण कर लिया है, वापस किया जाएगा। अंतिम भुगतान ठेकेदार के द्वारा प्राप्त करने के पश्चात यह दर्शित होता है कि अब उसे कोई अन्य क्लेम उस कार्य के बाबत नहीं लेना है।

26. रूपान्तर/अतिक्रम

अतिरिक्त आइटम व बिना निविदा के आइटम का मूल्यांकन दिए गए रेट के समान आइटम से मिलान करके होगा जहाँ कहीं भी है या इस रेट की एनालिसिस प्रचलित मजदूर, पदार्थ व दूसरे हिस्से से जैसी जरूरत हो की कीमत के आधार पर होगी।

27. प्रतिस्थापन

यदि ठेकेदार किसी सामान/कर्मकौशल का प्रतिस्थापन चाहता है तो उसे इस विशेष वर्णन अनिश्चित कालीन 'बराबरी' के शब्द से नवाजा गया हो या नियोक्ता या शिल्पकार से लिखित में 'दूसरा अप्रूव्ड' करा लिया हो।

28. रहने के लिए भवन कार्य की तैयारी पूर्ण होने की दशा में प्रयोग

पूरा कार्य अच्छी तरह से ठेकेदार द्वारा जाँचा जाएगा कमियों खराबियों को ठीक किया जाएगा। इस प्रकार की जाँच पूर्ण होने पर ठेकेदार नियोक्ता या शिल्पकार को सूचित करेगा कि उसने कार्य पूर्ण कर दिया है और जाँच के लिए तैयार है। पूर्ण होने के बाद ठेकेदार सभी खिडकियों व दरवाजों को जिसमें जरूरी या सभी हार्डवेयर की आयलिंग अन्दर व बाहर, सभी फर्श,

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

जीना, भवन का प्रत्येक हिस्सा शामिल है को साफ करेगा। वह साफ करके तुरन्त प्रयोग के लिए और नियोक्ता के संतोष के लिए उसे छोड देगा।

29. पूर्ण होने पर स्थल की सफाई

कार्य के पूर्ण होने पर ठेकेदार निर्माण के प्लान, अतिरिक्त पदार्थ, रबिश और हर प्रकार का अस्थाई कार्य हटा देगा और पूरा साइट को नियोक्ता के संतोष के लिए उसे छोड देगा।

30. पूर्णता के बाद का दोष

ठेकेदार को अपने मूल्य पर सभी दोषों को, कमियों को, समझौतों को या अन्य गलतियों को ठीक करना होगा व नियोक्ता को संतुष्ट करना होगा जो कार्य की पूर्णता के 12 महीनों के अन्दर स्पष्ट हुई होगी। न होने पर नियोक्ता किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और हानियों में सुधार और अच्छा कर सकता है और उसमें हुए खर्चों या जो घटित हुआ हो को ठीक कर सकता है जिसका वहन ठेकेदार को करना होगा और इस प्रकार के हानि, कमियों को, दोषों को, खर्चों को नियोक्ता द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है या ठेकेदार से घटाया जा सकता है, किसी भी पैसे को जो ड्यू हो को ठेकेदार से लिया जा सकता है जो उस कार्य को सुधारने के मूल्य के बराबर होगा यदि रोका गया धन पूर्ण नहीं है तो बाकिया को ठेकेदार से पुनः प्राप्त किया जा सकता है क्लोज 11 के अनुसार जो धन को रोका गया है जिसके साथ में इसके साथ कार्यवाही में लगे धन को।

31. नाकाबंदी

जो रेट दिए गए है वे ठेके के पूरे समय के लिए पूर्ण रूप से स्थिर होंगे (जिसमें समय का बढ़ाया जाना शामिल है) जिसमें पदार्थ, लेबर, जी0 एस0 टी0, वैट, सर्विस टैक्स, चुंगी आदि की कीमत बढ़ने पर भी किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी जब तक कि स्पष्टतया: दस्तावेज में दिया गया हो। टेण्डर में दिए गए रेट के अनुसार ही पेमेंट किया जाएगा।

32. सुस्त मजदूर

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

चाहें जो भी कारण हो सुस्त लेबर के लिए कोई क्लेम, अतिरिक्त व्यवस्था किराये पर लेने का मूल्य और टूल्स और प्लाण्ट का लेबर चार्ज पर किसी भी कीमत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

33. सस्पेंशन / रोकना

यदि ठेकेदार, किसी कर्मचारी के ऊपर कानूनी रोक को छोड़कर, कार्य को रोकता है या नियोक्ता की राय में उचित सावधानीपूर्वक अपने हिस्से का ठेके का कार्य करने में अनुत्तीर्ण होता है या यदि वह एक बार से अधिक गलती करता है तो नियोक्ता को अधिकार है कि वह ठेकेदार को लिखित सूचना दे कि कार्य को उचित रूप से आगे बढ़ाए और शीघ्रता करे और इस संदर्भ में यह नोटिस, नोटिस का रूप होगी। इस प्रकार की नोटिस दिए जाने के बाद भी ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उसे कार्य के साइट से हटा दे या जब दिनांक से नोटिस दिया है उसके समीप किसी प्लाण्ट या मैटीरियल है और जब तक नोटिस का अनुपालन नहीं होता है। यदि ठेकेदार कार्य को नोटिस पाने के बाद सात दिनों में शुरू करने में अनुत्तीर्ण होता है तो नियोक्ता क्लॉज 34 (टर्मिनेशन आफ कान्ट्रैक्ट बाई इम्प्लायर) के प्राविधानों के अनुसार चल सकता है।

34. नियोक्ता द्वारा संविदा का समाप्त करना

यदि ठेकेदार एक कम्पनी है, चाहे स्वयं की इच्छा से या आवश्यक रूप से, हिसाब साफ करने की ओर अग्रसर होती है, या फर्म है और समाप्त होती है या एकल होती है तो दीवालिया करार दी जाती है या एक जमोग करती है या एक घटक है जो बड़े हिस्से को लाभ पहुंचाती है, अपने कई क्रेडिटर्स को, या एग्रीमेंट के लिए एक डीड करती है अपने महाजनों के साथ, या एक कार्यालय का एसाइनी दीवालियापन में, या ठेकेदार का रिसीवर दीवालियेपन में, ठेके को विखण्डित कर सकती है, या एक ठेकेदार की फर्म का रिसीवर है और कोर्ट के द्वारा नियुक्त है, नोटिस के 14 में उससे आशा की जाती है कि वह ऐसा करे, उचित प्रकार से संतुष्ट करते हुए दिखा नहीं सकता है कि वह करने में असमर्थ है और ठेके को पूर्ण करे, यदि यह नियोक्ता द्वारा आवश्यक समझा जाता है कि उचित सिक्योरटी मिलनी चाहिये, यदि ठेकेदार को निष्पादन कार्यवाही का खतरा है जो इश्यू किया गया है, या उन्हें इस ठेके

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

के संबंध में पैसा देना होगा जो ठेकेदार के क्रेडिटर के द्वारा या उसकी की तरफ से अटैच होगा, या भार ग्रहण करेगा, या इस ठेके को रोक देगा या किसी दिए जाने वाले पेमेंट को जो ठेकेदार को ड्यू होगा, या अनदेखा करता है या संज्ञान में लेने से कतराता है और अपने इस ठेके के कार्य को करने में अनुत्तीर्ण होता है, को देखेगा और ठेकेदार को नोटिस देने के बाद पूरे तीन दिन के अन्दर करेगा जिस प्रकार से यहाँ कहा गया है जिससे ठेकेदार से आशा की जाती है कि वह उसे देखे और पूर्ण करे या गलत मैटीरियल प्रयोग करे या गलत शक्ति लगाए कार्य को करने के लिए, या नियोक्ता की राय में इस प्रकार की सावधानी नहीं रख रहा है और इस प्रकार की उन्नति कर रहा है कि कार्य दिए गए समय से जो तय है हो जाए, और तीन दिन की नोटिस के उपरांत नियोक्ता को संतुष्ट करने की तरफ बढे जिससे ठेकेदार से आशा की जाती है कि वह यह करे जो उसे दिया गया है जैसा कि यहाँ कहा गया है या ठेके तो तज दे, या किसी कहे गए केस में दी यूआईआईसी लि० पहले त्यागे हुए के साथ नहीं आ सकती है लिखित नोटिस देकर जो ठेके को कम समझे जैसा पहले कहा जा चुका है, और नियोक्ता के शक्ति को प्रभाव/संज्ञान में लेते हुए ठेकेदार के दाचित्व को, जो पूर्ण रूप से जारी रखे जैसे कि ठेका खतम नहीं हुआ है और ठेकेदार की तरफ से जो कार्य पहले किया था वह कर दिया गया है (बिना ठेकेदार पर विश्वास किए हुए) और नियोक्ता व उसका एजेंट, या नौकर, प्रवेश कर सकता है और कार्य को और प्लांट, टूल्स, अस्थाई निर्माण, शेड, मशीनरी, स्टीम व अन्य शक्ति, उपयोग के उपकरण और पदार्थ जो प्रेमाइसिस में पडा है या लगी हुई भूमि पर है या रोड पर है को अपने अधिकार में ले सकता है और बेंच सकता है जैसे कि वह उसकी सम्पत्ति हो या वह उसको अपने नौकरो व कार्मिकों के द्वारा कार्य को पूर्ण करा सकता है या किसी अन्य ठेकेदार को लगा सकता है या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्य पूर्ण करने के लिए और ठेकेदार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है या कुछ कर सकता है उसे रोकने के लिए या अन्य दूसरे ठेकेदारो को रोक सकता है या अन्य व्यक्ति जो लगाए गए हे काम पूर्ण/सम्पूर्ण करने के लिए या जैसे ही जल्दी से सम्भव हो सके तो नियोक्ता ठेकेदार को लिखित नोटिस देगा कि वह अपना सरप्लस सामान /प्लांट हटा ले और यदि

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

ठेकेदार यह करने में 14 दिन के अन्दर प्राप्ति के बाद अनुत्तीर्ण होता है तो नियोक्ता उसे नीलामी में बेंच सकता है और ठेकेदार को उस धन के लिए क्रीडिट दे सकता है जो पाया गया है। कोई खर्च या कार्य को दूसरे ठेकेदार से करवाने में नियोक्ता के द्वारा जो नुकसान हुआ है के धन का समायोजन ठेकेदार को मिलने वाली धनराशि से होगा जो उसके सामान/प्लांट को बेंचने या जो ड्यू एमाउण्ट है जिससे कार्य होना था या ठेकेदार को नियोजन में लेने के पहले दूसरे को लेने में या जो सिक्योरिटी डिपाजिट है।

35. मध्यस्थता

किसी प्रकार के मतभेद या झगड़े जैसा भी हो, जो किसी समय पार्टियों के बीच खड़े हुए हैं जो कार्य या मेंटीनेंस के कार्य को लेकर हो जो इस इस निर्माण के ठेके से संबंधित हो, जो बचे हुए निर्माण कार्य से संबंधित हो या पार्टियों के अधिकार व जिम्मेदारी से संबंधित हो जो उस सम्बन्ध में हुई हों, जो चाहें ठेके के समाप्त होने, बन्द होने या खण्डित होने से उत्पन्न हुए हों (अन्य दूसरे कार्य जो किसी व्यक्ति के निर्णय, जो ठेके में दिए गए हैं वे अंतिम व मान्य होंगे) जो ठेके के पक्षों में से किसी पक्ष के लिखित सूचना के द्वारा और नियोक्ता जिसे निर्णय करने के लिए एक मात्र आर्बिट्रेटर कहा जाएगा को नियुक्त किया जाएगा। एक मात्र आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के लिए जैसा ऊपर कहा गया है, ठेकेदार को नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर, 3 व्यक्तियों के नामों वाला एक पैनल, जो इस समय इस संस्था से न जुड़े हुए हों, जिसके लिए कार्य किया गया हो।

ठेकेदार नाम प्राप्त होने के उपरांत जैसा कि ऊपर कहा गया है किसी एक व्यक्ति को चुनेगा जो एक मात्र आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा और उसके नाम को नियोक्ता को नाम पाने के तीस दिन के अन्दर बताएगा। उसके बाद नियोक्ता बिना देरी किए उस एक मात्र आर्बिट्रेटर को नियुक्त करेगा। यदि ठेकेदार जैसा ऊपर कहा गया है नियोक्ता को उक्त समय के अन्दर नाम नहीं बताता है तो सक्षम प्राधिकारी चयन करके एक मात्र चयनित को आर्बिट्रेटर नियुक्त करेगा। यदि नियोक्ता यदि ठेकेदार को तीन आदमियों का पैनल का नाम दिए गए समय में भेजने में सक्षम नहीं होता है तो ठेकेदार तीन आदमियों के नाम का पैनल बनाकर नियोक्ता को भेजेगा जो एक दूसरे

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

से जुड़े हुए न हों। नियोक्ता नाम पाने के उपरांत जैसा ऊपर कहा गया है किसी एक आदमी के नाम को चुनेगा और उसे एक मात्र आर्बिट्रेटर को नियुक्त करेगा। यदि नियोक्ता पैनल का नाम प्राप्त करने के उपरांत 30 दिन के अंदर किसी व्यक्ति को चुनने में सक्षम नहीं होता है और उसे एक मात्र आर्बिट्रेटर को नियुक्त नहीं करता तो और ठेकेदार को इस प्रकार से सूचित नहीं करता है ठेकेदार को अधिकार होगा कि वह पैनल से किसी एक व्यक्ति को एक मात्र आर्बिट्रेटर को नियुक्त करे और उसके नाम को नियोक्ता को बताए। यदि नियुक्ति प्राप्त आर्बिट्रेटर अक्षम या इच्छुक नहीं है और अपने पद से इस्तीफा देता है और किसी कारण, चाहे जो भी हों, से आफिस को खाली कर देता है तो दूसरा आर्बिट्रेटर उपरोक्त प्रकार से चुना जाएगा।

ठेके का काम, यद्यपि, आर्बिट्रेटर की कार्यवाही के दौरान चलता रहेगा और इस प्रकार की कार्यवाही के दौरान ड्यू पेमेंट या ठेकेदार को देने वाले पैसे का लेन देन नहीं रुकेगा। जब दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के बाद से जब दोनों पक्षों को सुनने के लिए एक दिनांक तय कर लिया है तो यह समझा जाएगा कि आर्बिट्रेटर ने रिफरेंस में प्रवेश कर लिया है। आर्बिट्रेटर प्रत्येक वाद विवाद का एक अलग से निर्णय देगा जो उसे भेजा जाएगा। आर्बिट्रेटर प्रत्येक वाद विवाद को ठेके के नियम कानून के अनुसार निर्णीत करेगा और युक्ति युक्त तरीके से निर्णय करेगा। आर्बिट्रेशन का आफिस एक ऐसा स्थान होगा जिसे आर्बिट्रेटर स्वयं के निर्णय से ही चुनेगा। आर्बिट्रेटर की फीस, यदि कोई हो तो, करे एवार्ड के पहले पब्लिश होने के पहले जमा करना होगा जो आधी आधी दोनों पक्षों द्वारा देय होगी। आर्बिट्रेटर का रिफरेंस का मूल्य और एवार्ड फीस को शामिल करते हुए, जैसा कि वह निर्देश करे या किसके द्वारा या किस प्रकार, यह कास्ट या उसका हिस्से को अदा किया जाएगा को वह नियत करेगा और जो राशि को अदा किया है। आर्बिट्रेटर का एवार्ड अंतिम होगा और दोनों पक्षों को बाध्य होगा। उपरोक्त मध्यस्थता अधिनियम 1992 के प्रोविजन के शर्त पर या अधिन या किसी नियम के रूपान्तरण या पुनः कानून बनाए जाने पर और इस पर बने कानून, और जैसा कि वर्तमान काल में, इस क्लोज में मध्यस्थता की कार्यवाही में अप्लाई होगा। नियोक्ता व ठेकेदार यहाँ यह स्वीकार करते हैं

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

कि मध्यस्थता कार्यवाही इस क्लोज में स्पष्टतया: रूप से संतुष्ट है कि इसे आर्बिट्रेशन में भेजा जाए।

ठेके की अन्य शर्तें

1. पूर्ण करने की सूची

ठेकेदार से आशा की जाती है कि वह कार्य को शिल्पकार द्वारा दिए हुए प्रोग्राम के अनुसार करे जो नियोक्ता की प्रियारटी के आधार पर करेगा। ठेकेदार से आशा की जाती है कि वह दिए गए प्रोग्राम के अनुसार बार चार्ट तैयार करे और उसे नियोक्ता/शिल्पकार से अप्रूव करावे। सम्पूर्ण कार्य के पूरा होने का समय 60 दिन होगा।

2. बिजली और पानी की ऊर्जा

ठेकेदार से आशा की जाती है कि पानी, संकलन व निकासी के लिए वह स्वयं का श्रोत बनाएगा। बिजली यूआईआई सी द्वारा फ्री में एक प्वाइंट पर दी जाएगी।

3. अन्य नियम व कानून

a. ठेकेदार द्वारा सभी ई एस आई का आफिस का कार्य व निर्देश वर्कमेन कम्पनसेशन ऐक्ट के तहत माने जाएँगे।

b. ठेकेदार 18 वर्ष से कम उम्र के मजदूर को नहीं नियुक्ति करेगा और न ही समान कार्य के लिए कम वेतन देगा या उचित वेतन देगा। उचित वेतन का अर्थ है चाहें वेतन समय के अनुसार हो या कार्य के जैसा कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्दर बताया गया है।

मात्रा की सूची की प्रस्तावना

1. टेण्डर आइटम रेट के अनुसार होंगे जिसमें पदार्थ का मूल्य, सभी टैक्स, चुंगी व अन्य सर्विस जो पूर्ण रूप से लगाने के लिए आवश्यक हो, जॉच और

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

2. कीमतें स्थिर रहेंगी और पदार्थ की कीमत में घटना व बढ़ना या कोई अन्य कीमत का बदलना जो कुछ भी हो उस समय में या पूर्ण करने के बड़े हुए समय में यदि कोई हो, जिसमें बढोत्तरी की आशा लोकल कानून व सरकार के कानून के अनुसार की जाती है।
3. मर्दों जिनका आकलन किया जा चुका है के रेट एक समान बदलाव के समय भी होंगे जो शिड्यूल आफ क्वान्टिटीज में है।
4. तकनीकी जाँच को विभिन्न निविदाओं को बढावा देने के लिए ठेकेदार को तकनीकी विवरण देने होंगे, सूची बनानी होगी, विभिन्न प्रकार के आइटम के लिए जो बनाया जाएगा उसका परिमाण वर्णन सहित विशिष्ट चित्रण करना होगा।
5. चित्रण व विशेष वर्णन कम से कम स्तर का कारीगरी या कर्म कौशल प्रयोग का सामान का दिखाते है। झुकाव को ठीक से समान रखना चाहिये।
6. सभी बैठाने के कार्य को जैसे कहा गया है जाँच लेना चाहिये और एक जाँच प्रमाण पत्र दिए गए प्रपत्र पर संबंधित प्राधिकारी को जारी करना चाहिये।
7. जैसा कि मालिक द्वारा लिया गया हो या शिल्पकार द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि सभी बैठाने के कार्य की गारंटी 12 महीने तक बैठाने की तिथि से खराब पदार्थ के लिए होनी चाहिये। गारंटी के समय में ठेकेदार सभी कमियों को बिना किसी लागत के ठीक करायेगा।
8. पानी व बिजली की व्यवस्था साइट पर करनी होगी। विद्युत शक्ति का प्रयोग लागत के हिसाब से होगा। यदि साइट पर उपलब्ध पानी निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है तो ठेकेदार पानी के लिए अपने स्वयं का इन्तजाम करेगा।
9. ठेकेदारों को साइट के दशा से स्वयं को अवगत होना होगा और रेट लगाते समय सभी घटकों को संज्ञान में लेना होगा चूँकि किसी भी दशा में किसी प्रकार का अतिरिक्त देय नहीं होगा।
- 10.नियोक्ता ठेकेदार को इस प्रकार से धन देगा कि समय समय पर यह अब यहाँ देना है जो कही कई शर्तों के अनुसार इंगित किया जा चुका है।

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

11. **परामर्शी शिल्पकार** का मतलब शर्तों के अनुसार **सृष्टि** से होगा। इस ठेके के सृजनात्मक व्यक्ति या इस ठेके के लिए, उनकी मृत्यु की दशा में या वे अब परामर्शी शिल्पकार नहीं रहे, तो नियोक्ता द्वारा इस प्रकार का कोई अन्य दूसरा व्यक्ति, उस कार्य के लिए, नामिनेटेड होगा जिसको ठेकेदार की निगाह में खराब नहीं होगा जिसका पहले विचार किया जा चुका है कि नियोक्ता की निगाह में वह व्यक्ति ठीक नहीं है। इस ठेके में हमेशा पूर्व निर्दिष्ट है कि बाद में कोई भी व्यक्ति **परामर्शी शिल्पकार** की तरह से नियुक्त नहीं किया जा सकता है, वह इस ठेके में जिसे **परामर्शी शिल्पकार** ने अनदेखा या किसी निर्णय, संस्तुति, निर्देश, या स्पस्ट लिखे हुए को समय रहते ओवर रूल किया है।
12. प्लान, ऐग्रीमेंट और डाक्यूमेंट जो ऊपर कहे गए हैं, इस ठेके के आधार होंगे और संबंध में **परामर्शी इंजीनियर/ शिल्पकार** का निर्णय जैसा कि समय रहते दिए गए ठेके की शर्तों व नियमों जो झगड़ों के सभी मामलों पदार्थों, कारीगरी, या एकाउण्ट से संबंधित है और भविष्य में किसी अन्य दस्तावेज के ऐग्रीमेंट के क्लोज की व्याख्या जो संलग्न है वह दोनों पक्षों के लिए अंतिम व बाध्यकारी होगा जो बाद में रूल आफ द कोर्ट होगा।
13. उक्त ठेके में उपरोक्त कार्य शामिल होंगे और सभी सहायक कार्य जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उसी साइट से, को भी करने के आदेश नियोक्ता के द्वारा, समय होते हुए, **परामर्शी शिल्पकार** के माध्यम से दिए जा सकते हैं यद्यपि ऐसे कार्य को चित्रण, या किसी भी स्पष्टीकरण कीमतों की सूची में या मात्रा में नहीं दिया गया होगा।
14. नियोक्ता के पास किसी कार्य के चित्रण को, कार्य की प्रकृति को बदलने का, जोड़ने का, किसी आइटम को हटाने का या किसी कार्य के हिस्से को जो कि किया जा चुका है का अधिकार सुरक्षित रहेगा जो इस ठेके से बिना भेदभाव के होगा।
15. उक्त शर्तों को इस समझौते का अंश समझा व पढा जाएगा और पक्षों को इनको मानना होगा और अपने को उनके समक्ष उनकी शर्तों के अनुसार, व्याख्या व कार्य करने को रखना होगा जैसे कि वे कही गई हैं।

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

16. इस ठेके को प्राप्त करने के बाद पत्र जो नियोक्ता व ठेकेदार के बीच में आपस में बदले गए है इस ऐग्रीमेंट का हिस्सा होगा उन शर्तों के अनुसार जैसा इस में हैं।
17. इस संविदा के कुछ हिस्सें मुझे पढ कर सुनाए गए है और मेरे द्वारा उनको समझ लिया गया है।
18. सफलता प्राप्त ठेकेदार सम्पूर्ण इंस्टालेशनस का पूर्ण चित्रण को प्रस्तुत करेंगे जैसा नाप सहित संस्तुति सहित शिल्पकार द्वारा कार्य के पूर्ण होने के बाद साइट पर दिखाया गया है लेकिन शिल्पकार द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र के पहले।
19. ठेकेदार द्वारा प्रथम वरीयता का मैटीरियल ही प्रयोग में लाया जाएगा जब तक कि उसे टेण्डर के विशेष वर्णन के अनुसार किसी विशिष्ट निर्माता द्वारा वह न बना हो तो वह उससे अपने को बाहर कर सकता है।

आर्टिकिल्स आफ ऐग्रीमेंट

आज दिनांक 2017 को लखनऊ में मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० इस्टेट डिपार्टमेंट, रीजनल आफिस, यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० आरिफ चैम्बर्स-1, द्वितीय तल, कपूरथला काम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ (जिसे आगे 'नियोक्ता' कहा जाएगा जब तक कि उक्त कथन इसके विपरीत नहीं होता है में उत्तराधिकारी एवं जो निरूपित हों।) प्रथम पक्ष एवं एम/एस (जिसे आगे 'ठेकेदार' कहा जाएगा जब तक कि उक्त कथन इसके विपरीत नहीं होता है में उत्तराधिकारी, सम्पादक, प्रबंधकर्ता एवं जो निरूपित हों।) द्वितीय पक्ष। यह कि नियोक्ता पुनरुद्धार, तैयार करने का कार्य यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० लखनऊ में करवाने का इच्छुक है व उसके पास चित्रण, विशेष वर्णन, परिमाण की सूची, जो कार्य की प्रकृति को दर्शाती है, को करवाना है जिसे मे० पंकज कुमार एण्ड एसोसिएट्स, लखनऊ ने नियोक्ता के निर्देश पर तैयार कर लिया है। नियोक्ता उक्त कार्य को केवल चित्रण एवं विशेष वर्णन के अनुसार कराना चाहता है। अतएव ठेकेदारों ने अपने टेण्डर दिनांकित एवं पत्र व्यवहार दिनांकित उक्त कार्य को करने की सहमति चित्रण, विशेष वर्णन, मात्रा की सूची, मूल्य के अनुसार प्रदान की है जो विशिष्ट शर्तों व ठेके की

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

शर्तों को समझ, निरीक्षण कर लिया है व ठेकेदार को मान्य है। टेण्डर का कुल मूल्य (.....रूपये मात्र) अतएव ठेकेदार ने नियोक्ता के पक्ष में निक्षेप मूल्य (.....रूपये मात्र) जमा कर दिए हैं।

अतः अब यह आपसी समझौता होता है कि

1. ठेकेदार सहमति करता है कि वह उक्त कहे गए कार्य को करेगा व पूर्ण करेगा जैसा चित्रण में है और ऐसी आगे का चित्रण जो इंजीनियर द्वारा करने के लिए दिया जाएगा और जो विशिष्ट वर्णन में और दिए गए शिड्यूल आफ क्वांटिटी में है जो कही गई शर्तों के अधीन होगा।
2. नियोक्ता इस कार्य के लिए ठेकेदार को ऐसी रकम अदा करेगा जो समय के अनुसार देने योग्य होगी जैसा कि दी गई शर्तों में है।
3. उक्त ठेका व संबंधित दस्तावेज, चित्रण, विशिष्ट वर्णन, मात्राओं की मूल्य सूची, ऐग्रीमेंट व दस्तावेज उपरोक्त इस ठेके का हिस्सा होंगे और झगड़ों के ऐग्रीमेंट के सभी मामलों या कही गई शर्तों के मुताबिक नियोक्ता का निर्णय मान्य होगा।
4. यह ठेका जो यहां है में उपरोक्त कहे गए कार्यों और अन्य सहायक कार्य जो उसी साइट में इससे जुड़े हुए है को करने का भी आदेश नियोक्ता द्वारा समयानुसार दिया जा सकता है यद्यपि ऐसे कार्य को चित्रण, या किसी भी स्पष्टीकरण कीमतों की सूची में या मात्रा में नहीं दिया गया होगा। ठेकेदार उसे करने का पूर्ण रूप से, कार्यशील व्यक्ति की तरह, अच्छे पदार्थों के साथ और दी गई समयावधि में करने का जिम्मा लेता है।
5. नियोक्ता के पास किसी कार्य के चित्रण को, कार्य की प्रकृति को बदलने का, जोड़ने का, किसी आइटम को हटाने का या किसी कार्य के हिस्से को जो कि किया जा चुका है का अधिकार सुरक्षित रहेगा जो इस ठेके से बिना भेदभाव के होगा।

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

6. उक्त शर्तों को इस समझौते का अंश समझा व पढा जाएगा और पक्षों को इनको मानना होगा और अपने को उनके समक्ष उनकी शर्तों के अनुसार, व्याख्या व कार्य करने को रखना होगा जैसे कि वे कही गई है।
7. ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वह उस कार्य के लिए सभी जरूरी पदार्थों को प्राप्त करे।
8. ठेकेदार को जब से कार्य शुरू हुआ है तब से 60 दिन में कहे गए कार्य को समाप्त करना है जैसा कि कार्य करने का आदेश है और साइट से सभी प्लान्ट, अस्थाई निर्माण, प्रयोग का सामान और रबिश को हटाकर साइट को साफ कर देना है और हट जाना है।
9. इस ऐग्रीमेंट के संबंध में सभी झगडे या जुडे हुए मसले लखनऊ के समझे जाएंगे और सभी को निर्णय करने का अधिकार लखनऊ की अदालत में होगा।
10. इस संविदा का कुछ हिस्सा मुझे पढ कर सुनाया गया व मेरे द्वारा पूर्ण रूप से समझ लिया गया है।
11. ठेकेदारों को दिया गया कार्य का आदेश इस समझौते का हिस्सा होगा। आज दिनांक को साक्षियों ने अपने हस्ताक्षर अपने हाथों से बनाए

नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित

ठेकेदार की उपस्थिति में

के द्वारा हस्ताक्षरित

विशेष वर्णन

1. विशेष वर्णन साधारण जरूरतें

टेण्डर प्रपत्र में टेण्डर के आरेखण की सूची दी गई है। ये चित्रण टेण्डर व निर्माण के लिए समझे जाएंगे। इन चित्रण को पुर्ननिरीक्षण में जा सकती है व नयी पुर्ननिरीक्षित प्रतिलिपि कार्य में अंतिम चित्रण तक अमल में लाने के लिए ठेकेदार को समय समय पर दी जाएगी ताकि भौतिक स्थिति को बढावा मिले।

IB उस चित्रण का आकार व प्रकार का ही प्रयोग होगा को अग्रसारित किया जाएगा व छोटे स्तर से बडे स्तर तक किया जाएगा।

IC चित्रण की जानकारिया जो माल से संबंधित व कार्य पद्धति से है यदि विशेष वर्णन से भिन्न है तो उसे वरीयता मिलेगी।

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

ID ठेकेदार को स्वयं के मूल्य पर विस्तृत चित्रण तैयार कराना होगा जिसका अप्रूवल कार्य में लेने के पहले परामर्शी से कराना होगा।

2. कारीगरी / कर्म कौशल

2A विशेष वर्णन का मतलब किए गए कार्य का उत्तमता का साधारण वर्णन है। उनमें बारीक काम नहीं शामिल हैं। कार्य को किसी अच्छे इंजीनियर से या किसी योग्य से कराया जाएगा।

2B जब ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैंडर्ड या किसी अन्य संस्था का मानक विशेष वर्णन का संदर्भ लिया जाएगा तो संदिग्धता की स्थिति में

2C सभी पदार्थ पुनरीक्षित के अनुसार उचित प्रकार से बनाए जाएंगे जो ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैंडर्ड या किसी अन्य संस्था का मानक के समतुल्य हो जिस पर बिस लिखा हो या विशिष्ट व्यक्ति द्वारा अप्रूव किया गया हो। ठेकेदारों को प्रयोग में लाने से पहले ही विशिष्ट व्यक्ति द्वारा अप्रूव किया गया मैटीरियल मिलेगा।

3. नाप व भुगतान

3A बिल में लिखी मात्रा प्रयोग संबंधी है। ठेकेदार द्वारा लिखा गया रेट के अनुसार उनका भुगतान होगा और वस्तुस्थित पर माप पूर्ण कार्य के अनुसार सीमित होगा जब कि वह सलाह देने वाला के अनुसार होगा।

3B नाप का कार्य साधारणतया: आई एस 1200 के अनुसार होगा 'Method of Measurement of Building and Civil Engineering Work' यदि टेण्डर का मतलब कुछ और है को छोड़कर

4. लेआउट व सर्वे

ठेकेदार सही व उचित ढंग से कार्य की स्थिति के लिए उत्तरदायी होगा, स्थिति की सही की दशा में, समता व दिशाएँ और सभी हिस्सों का एक लाइन में होना जिसमें आवश्यक उपकरण, तदबीर व मजदूरी का मूल्य जिससे संबंधित हो। यदि किसी कार्य के हिस्से में दशा में, समता में तो ठेकेदार, यदि ऐसा करने की जरूरत हो तो, ऐसी गलती को अपने खर्च पर सुधार सकता है, किसी कंसल्टेंट / क्लाइन्ट द्वारा किसी सेटिंग को चेक कर सकता है जो किसी लाइन से या सेटिंग से बाहर हो गई हो, तो ठेकेदार

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

को उससे उसकी जिम्मेदारियों से उसमें सुधार के लिए मुक्ति नहीं मिल सकती है।

5. निर्माण के नियम व पूर्ण होने का समय

5अ – ठेकेदार द्वारा पूर्ण निर्माण के बारे में एक बार का चार्ट दिया जाएगा जिसमें 60 दिन के अन्दर कार्य शुरू होने के बाद से स्थल पर कार्य के विवरण का व्यौरा प्रत्येक कार्य के लिए होगा। चार्ट को कंसल्टेंट / क्लाइन्ट के द्वारा पुनरीक्षित किया जाएगा और यदि आवश्यकता हुई तो बदलाव भी किया जा सकता है। यह चार्ट कार्य का पुनरीक्षण का मूल्यांकन करने का आधार होगा।

5ब – चित्रण ठेकेदार को कार्य शुरू होने के एक सप्ताह पहले से जारी किए जाएंगे।

5स – चित्रण समय से नहीं प्राप्त हुए हैं के आधार पर समय नहीं बढ़ाया जाएगा।

6. दूसरी एजेंसी से सहयोग

ठेका शुरू होने से पहले कुछ दूसरी एजेंसी और ठेकेदार साइट पर उसी समय कार्य कर रहे होंगे। सही सहयो और देरी को दूर करने के लिए ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह कार्य शुरू होने की सही तारीख दे जिससे एजेंसियों द्वारा प्लेसमेंट और नियत करने का अवसर मिल सके। सुरक्षा व हानि से बचाव के लिए ठेकेदार को साथ रहना चाहिए। यदि कोई सीधी या किसी अलग तरीके से हानि ठेकेदार या उसके किसी व्यक्ति से होती है तो उसको पूर्ण करना होगा जो कि कंसल्टेंट/क्लाइन्ट का सुझाव या निर्देश है।

7. कार्य का देना

कार्य का प्रत्येक हिस्सा समय समय पर साफ रखना होगा और कार्य समाप्त होने पर साफ सुथरा जिसमें कोई डिफेक्ट न लगा हो।

8. अन्य कागजात से संबंध

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

8अ – टेनिकल विशेष वर्णन समझा जाएगा जो सामान का सामान्य वर्णन मात्रा के बिल में दिया है। सारे कार्य टेनिकल विशेष वर्णन के जो कहे गए है या समझ वाले है का वर्णन मात्रा के बिल में दिया है। इसी प्रकार चित्रण के इशारे कार्य का साधारण वर्णन जो कहे गए है या समझ वाले है का वर्णन मात्रा के बिल में दिया है।

9. लिफ्ट एण्ड लीड्स

9अ – सभी कार्य के आइटम के रेट में लिफ्ट और लीड्स शामिल होगी।

9ब – सारे डरबी या वेस्ट पदार्थ का डिस्पोजल साइट से दूर होगा जैसा बताया गया है।

सुरक्षा चिन्ह के बारे में

फर्स्ट ऐड

1. प्रत्येक कार्य के स्थान पर फर्स्ट ऐड होना चाहिए जो कि आसानी से पहुच के अंदर हो जिसमें स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग स्टरलाइज्ड काटन भी शामिल है। सारे अप्लाएंस सही तरीके से रखे जाएंगे बडी मात्रा में तथा इन सभी को किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति के सुपुर्दगी में रखा जाएगा जो हर समय आसानी से हाजिर मिले
2. बड़े कार्य के स्थानों में जहां पास में अस्पताल की सुविधा न हो वहाँ फर्स्ट ऐड पोस्ट स्थापित किया जाएगा जो एक ट्रेन्ड कम्पाउण्डर के द्वारा संचालित होगा।
3. प्रत्येक कार्य के स्थानों पर पीने का पानी सुनिश्चित स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा जो आसानी से लेबर को प्राप्त हो जाए।

अस्थाई निर्माण

1. अस्थाई निर्माण प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक वर्कमेन को दिया जाएगा जिसको सुरक्षापूर्वक जमीन से सम्पादित न हो सकेगा या स्थाई निर्माण दिया जाएगा कम समय के कार्यों को छोड़ते हुए जिनका काम सीढी के द्वारा हो सकता है। जब सीढी प्रयोग की जाएगी तो यह अच्छी क्वालिटी की लकड़ी या

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

स्टील की होगी। कदम कम से कम 450 एमएम के होंगे जो अधिकतम 300 एमएम तक हो सकते हैं। हैण्ड होल्ड अच्छी लकड़ी या स्टील का होगा और सीढ़ी का झुकाव $\frac{1}{4}$ से 1 ($\frac{1}{4}$ पृथ्वी के समानान्तर व 1 नीचे से ऊपर की तरफ होगा)

2. अस्थाई निर्माण 4 मीटर प्रथम तल से ऊपर होगा जिसको किसी सहारे से टिकाया जाएगा या बनाया जाएगा जिसमें रेल गार्ड बोल्ट से कसे होंगे जो कम से कम 1 मीटर पर के प्लेटफार्म पर होगा या ऐसा अस्थाई निर्माण उस प्रकार से बनाया जाएगा जिससे मैटीरियल पहुँचाने में कोई कठिनाई न हो। ये सब अस्थाई निर्माण इस प्रकार से कसे जाएँगे जिससे कि वे इमारत पर झूले की तरह से न हों।

3. कार्य करने का स्थान

कार्य करने का स्थान, रास्ते और सीढ़ियाँ इस प्रकार से बनी हो जो धसी हुई असमान न हों, यदि प्लेटफार्म की हाइट, रास्तों, सीढ़ियों यदि जमीन से 4 मी० से अधिक की है तो उनको पास पास से होना चाहिए और चौड़ाई भी पर्याप्त होनी चाहिए और कायदे से ढकी होनी चाहिए जैसा कि 2 में कहा गया है।

4. भवन पर प्रत्येक द्वार पर या कार्य के प्लेटफार्म पर इस प्रकार से होनी चाहिए कि कोई आदमी या सामान गिर न सके जिसमें पर्याप्त फेंस या रेलिंग होनी चाहिए जिसकी उचाई कम से कम 1 मी० हो। जब जमीन पर खुले में खुदाई हो तो उसे कायदे से ढक देना चाहिये व रात्रि के लिए खतरे का चिन्ह बना देना चाहिए ताकि कोई उस खुदाई में गिर न सके।

5. सभी कार्य के स्थल पर सुरक्षा से पहुँचने का इन्तजाम होना चाहिए। प्रत्येक सीढ़ी को ठीक ढंग से लगाया गया हो। 9 मी० से ज्यादा की कोई भी ले जाने वाली सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। किसी भी दशा में चौड़ाई की 290 एमएम सीमा होनी चाहिए जिसकी लम्बाई 3 मी० होगी। लम्बी सीढ़ियों के लिए चौड़ाई बढ़ सकती है 20 एमएम तक यदि लम्बाई एक मी० बढ़ती है तो।

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

6. इंजीनियर की आज्ञा से सीढ़ी का स्केच और अस्थाई निर्माण का प्रयोग किया जाना चाहिए।

सुरक्षा के अन्य इन्तजामात

7. ठेकेदार के सभी कार्यकर्ता जो स्थल पर कार्य कर रहे हैं को सुरक्षा हेलमेट देना होगा। सभी वेण्डर को कार्य के समय वेल्डिंग ग्लास पहनने होंगे तथा सभी मेटल के कार्य करने वालों को मेटल के लिए दस्ताने देने होंगे।
8. बिजली से पर्याप्त सुरक्षा के इन्तजाम किसी खतरे ने निपटने के लिए करना होगा। साइट पर किसी प्रकार का पदार्थ चिपका या ऐसा पडा नहीं होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति या जनता को असुविधा न हो।

खुदाई व खाइयों

9. सभी खाइयों 1.25 मी० या अधिक की गहराई वाली में कम से कम एक सीढ़ी होनी चाहिए जो 30 मी० की लम्बाई या उसके फ्रैक्शन की हों। सीढ़ी खाई की सतह से 1 मी० उपर सतह तक से होनी चाहिये। सीढ़ी साइड जो 1.5 मी० या अधिक की गहराई के होने चाहिये को अच्छा ढलान मिलना चाहिये या किसी टिम्बर से सही ढंग से लगी होनी चाहिये और ढालान सही होना चाहिये ताकि पब्लिक को कोई खतरा न होने पाये। खुदाई के बाद मैटीरियल 1.5 मी० के अन्दर नहीं पडा होना चाहिये या खाई की आधी गहराई तक जो भी अधिक हो। कटिंग उपर से नीचे होनी चाहिये। किसी भी दशा मे नीचे से कटिंग या माइनिंग नहीं होनी चाहिये।
10. ठेकेदार को सभी इन्तजामात पब्लिक को दुर्घटना से बचाने के लिए करने चाहिये और प्रत्येक केस ऐक्शन, या किसी अन्य कानूनी प्रकृया से बचाव व खर्चे को वहन करने के लिए बाध्य होना चाहिये जो किसी एक व्यक्ति द्वारा असावधानी के कारण घटना में कारित चोटों के कारण किया जा सकता है जो ठेकेदार की सहमति से हो, को कम्प्रोमाइज के तहत ऐसे व्यक्ति को देय हों।

गिराने का कार्य

11. गिराने के पहले कार्य शुरू गया हो और कार्य के दौरान।

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

- a. सभी रास्ते और खुले एरिया जो कार्य स्थल के पास हो को या तो ठीक ढंग से बंद करना चाहिये या ठीक ढंग से रक्षित होना चाहिये।
- b. कोई भी बिजली का सामान जिससे केबिल पर खतरा हो सकता है या जो सामान प्रयोग में लाया जाय को इलेक्ट्रिकली चार्ज होना चाहिये।
- c. आग व एक्सप्लोसिव या बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए सभी प्रकार के प्रायोगिक कदम उठाए जाने चाहिये। छत पर किसी प्रकार का कूड़े करकट का ओवरलोड न हो जिससे यह सुरक्षित न हो।

स्वयं के सुरक्षा इन्तजामात

12. आवश्यक सुरक्षा के जरूरी इन्तजामात कार्मिकों के लिए जैसा कि इन्जीनियर की निगाह में है को प्रयोग के लिए रखना चाहिये जैसे कि उनको तुरन्त प्रयोग में लाना है और ठेकेदार को देखना होगा कि ये सब का सही स्तेमान उनके द्वारा जिससे संबंधित है किया जा रहा है।

- a. कार्मिक जो कोलतार व बालू मिला हुआ पदार्थ, सीमेंट और चूने का प्रयोग करते है उन्हे सुरक्षित जूते व गागल्स देने चाहिये।
- b. जो पुताई या सीमेंट खेलने व मिलाने मे लगे है या जिससे आँखों पर गलत प्रभाव पडता हो उनको सुरक्षा के लिए गोगल्स देने चाहिये।
- c. जो वेल्डिंग में लगे है उनको वेल्डर्स प्रोटेक्टिव आईसाइट लिड देनी चाहिये।
- d. पत्थर तोडने वालों को सुरक्षा के लिए गोगल्स, सुरक्षा के लिए कपडे देने चाहिये व सुरक्षित समय से उठना बैठना चाहिये।
- e. कार्मिक जो सीवर व मेनहोल में लगे है, जो प्रयोग में लाए जा रहे है, के लिए ठेकेदार को देखना होगा कि मेन होल के कवर खुले है और उसमें हवा जाने का मार्ग है। अन्दर जाने के एक घण्टे पहले मेन होल को खोलना होगा और उसमें सही बैरियर लगे होने चाहिये और वार्निंग

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

सिग्नल देने चाहिये और बोर्ड जो पब्लिक को ऐक्सीडेंट से रोकने के लिए हो।

- f. ठेकेदार 18 वर्ष से कम उम्र के आदमियों को नहीं लगा सकता है और औरतों को पेंटिंग के लिए जिसमें लेड मिला हो या किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ मिला हो।
 - i. लेड या लेड के पदार्थ का प्रयोग केवल पेस्ट या रेडीमेड पेंट के अलावा किसी में नहीं होगा। पेंट जैसे विनायल और इपोक्सीज जिसमें जहरीला धुआ हो का प्रयोग निर्माणकर्ता के दिए गए सुरक्षा को देखते हुए करना चाहिए।
 - ii. जब पेंट का स्तेमाल स्प्रे के रूप में हो रहा हो तो सुरक्षित फेस मास्क या सतह जिसपर सूखा लेड पेंट लगा कर सुखा लिया गया हो।
 - iii. सभी चीजें ठेकेदार द्वारा कार्मिकों को देनी चाहिये जब वे पेंट का स्तेमाल करे ताकि काम समाप्त होने पर वे अपने को साफ रख सकें।

13. पब्लिक प्लेस पर जब कार्य किया जा चुका है तो जहाँ डूबने का खतरा हो तो सभी सुरक्षा के सामान देना होगा और प्रयोग के लिए तैयार रहना होगा और खतरे में पड़े लोगों को बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम को उठाना होगा और तुरन्त फस्ट ऐड घायलों को देना होगा जो दुर्घटना में हुई चोटे प्राप्त किए हों।

ऊपर को उठाने वाली मशीन

14. ऊपर उठाने वाली मशीन और उनके अटैचमेंट को करने के लिए लंगर पर रूकना या ठहरना और उसके सहायक को निम्नलिखित स्तर या शर्तें देखनी होंगी—

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

- a. ये सभी अच्छी प्रकृति के अच्छे पदार्थ से सही शक्ति की बनी होनी चाहिये और पेटेंट डिफेक्ट से फ्री होनी चाहिये और अच्छी प्रकार से रिपेयर करनी चाहिये और सही आर्डर में होनी चाहिये।
 - b. प्रत्येक रस्सी जो उठाने के लिए लटकाव में प्रयोग में लाई जा रही हो अच्छी किस्म और पर्याप्त स्ट्रेन्थ का होना चाहिये और पेटेंट डिफेक्ट से फ्री होनी चाहिये।
 - c. प्रत्येक केन ड्राइवर या उठाने व नीचे करने वाले आपरेटर करे सही ढंग से प्रशिक्षित होना चाहिये और 21 साल से कम वाले को ऊपर उठाने वाली मशीन का कार्यभार नहीं देना चाहिये और कोई स्काफोल्डिंग विंच या सिग्नल आपरेटर को देना चाहिये।
 - d. प्रत्येक ऊपर उठाने वाली मशीन और प्रत्येक चैन रिंग हुक, शैकेल शाल और पुली ब्लाक जो उपर उठाने में प्रयोग हो या लटकाने के साधन हो के लिए सही भार का आकलन सही तरीके से करना चाहिये। प्रत्येक उपर उठाने वाली मशीन जो विभिन्न प्रकार के लोड सुरक्षा पूर्वक उठा सके और जिस कंडीशन में यह कार्य करती है को सही ढंग से लिखा होना चाहिये। किसी मशीन के किसी पार्ट में या गियर जैसा उपर कहा गया है सेफ वर्किंग लोड से उपर नहीं होना चाहिये केवल टेस्टिंग को छोड़कर।
 - e. डिपार्टमेंटल मशीन के संबंध में सेफ वर्किंग लोड इंजीनियर द्वारा नोटीफाई करना होगा। जैसे ठेकेदार की मशीन में ठेकेदार को इंजीनियर को मशीन के वर्किंग लोड को नोटीफाई करना होगा जब भी वह मशीन साइट पर लाता है और इंजीनियर द्वारा इसे वेरीफाई कराता है।
15. मोटर्स, गियरिंग, ट्रांशमिशन, बिजली के तार की वाइण्डिंग या अन्य खतरनाक पार्ट्स को ऐसे साधनों के साथ देना चाहिये जिससे खतरा कम हो जाए या लटके हुए का संतुलन न बिगडने पाये। जब कार्मिक बिजली के लगाने में लगे हुए है तो जो पहले से इनर्जी में है तो इन्सुलेटिंग मैट, दस्ताने पहनने,

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

बाहें और जूते जो कि आवश्यक हों को देना चाहिये। कार्मिकों को अंगूठी, घड़ियाँ चाभियाँ या अन्य कोई धातु नहीं पहननी चाहिये।

16. सभी अस्थाई निर्माण सीढिया व अन्य बताए गए सुरक्षा इन्तजाम को सुरक्षित स्थान पर सम्भालकर रखा जाएगा और किसी भी अस्थाई निर्माण सीढिया व उपकरण को हटाया जाएगा जब तक उनका प्रयोग हो रहा है। कार्य के स्थान पर पर्याप्त धुलाई का इन्तजाम किया जाएगा।

17. ये सुरक्षा के नियम सभी संबंधित लोगों को कार्य के उचित स्थान पर नोटिस बोर्ड द्वारा सूचित किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा इस निमित्त जिम्मेदार अधिकारियों का नाम दिया जाएगा।

18. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी इन्तजामात के लिए नियम व कानून का प्रभावी करना को ठेकेदार लेबर आफिसर, विभाग के इंजीनियर या उनके उत्तराधिकारी द्वारा देखने के लिए खुला रखेगा।

19. ऐसा होते हुए भी यहाँ कुछ भी नहीं है जिससे ठेकेदार उपरोक्त क्लॉज 1 से 18 तक लागू न हो।

अंदर के कार्य के लिए अनुमोदित मैटीरियल

1. एम. आर. ग्रेड पालीउड और एमडीएफ	मेरीनोलम, ट्रू उड, सेंचुरी प्लाई एण्ड ग्रीन प्लाई
2. लेमिनेशन	मेरीनोलम, सेंचुरी प्लाई एण्ड ग्रीन प्लाई
3. हार्डवेयर (हिंग्स, स्पेशन) स्लाइड्स, स्टेज	गोदरेज, एबको
4. एल्यूमिनियम द्वार	हिन्दल / जिन्दल
5. दरवाजे के ताले	गोदरेज, एबको
6. फर्श	डोरमा, ओजोन, हार्डविन
7. चिपकाने के लिए	फेविकोल
8. ग्लास पनेल्स	मेदी, सेंट गोबाइन ग्लास
9. टीक उड	प्रथम क्वालिटी की टीक की लकड़ी
10. प्लास्टिक पेंट एवं एनामेल पेंट	एशियन पेंट / बरगर
11. लकड़ी का पेंट	डूको
12. रोलर ब्लाइण्ड	मरवल या लूवरर्सलाइन या विष्टा
13. जिप्सम बोर्ड सीलिंग	जिप्रो सेंट-गोबाइन सेक्शन के साथ
14. फ्लश डोर्स	सेंचुरी प्लाई / आस्टिन / डोनियर फ्लश डोर्स
15. सांकेतिक चिराग	एल एण्ड टी
16. एस एफ यू एच आर सी के साथ	एल एण्ड टी
17. एल. टी. / एच. टी. यू जी केबल्स	एँकर, आरबिट, फिनोलेक्स
18. वैबिल ग्लैंड्स व केबल लग्स	एँकर, आरबिट, फिनोलेक्स

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

19.एम. सी. बी./एम. सी. सी. बी/डी बी एस	लेग्रैण्ड या हैगर
20.मेटल क्लैड प्लग व	साकेट लेग्रैण्ड या हैगर
21.टेलीफोन साकेट	ऐंकर पेंटा
22.पी वी सी कण्डयूइटस एवन	प्लास्ट या फिनोलैक्स या सुप्रीम
23.एफ आर एल एस पी वी सी कापर वायर	ऐंकर, आरबिट, फिनोलेक्स
24.स्विचेस और साकेट	ऐंकर, हावेल्स
25.लाइट फिटिंग्स व लैम्प्स	एलनसर्व, हावेल्स
26.वाल माउण्टेड/सीलिंग	फैन्स काम्टन ग्रेव्स
27.एग्जहास्ट फैन	अल्मोनार्ड या हावेल्स
28.डाटा केबल्स	डी लिंक
29.टेलीफोन केबिल आर्बिट	ऐंकर या फिनालेक्स
30.एम एस स्टील बार	आर एल एच, टाटा, टी एम टी
31.सीमेंट	ए सी सी, प्रिज्म, चैम्पियन
32.ब्रिक	फर्स्ट क्लास ब्रिक
33.ग्रिल्स या गेट	आई एस आई मार्क
34.कोर्स एण्ड फाइन एग्रागेट	फर्स्ट क्वालिटी

टिप्पणी:-

1. बराबरी का मतलब आर्किटेक्ट/कम्पनी के इंजीनियर की राय में समतुल्य और प्रत्येक मैटीरियल आर्किटेक्ट/कम्पनी के इंजीनियर से अनुमोदित कराया गया हो।
2. एडवांस/फाइनल बिल उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार से बिल आफ क्वांटिटीज मेजरमेंट शीट के साथ।
3. एक लाइन के बिल, एडवांस/फाइनल बिल नहीं अदा किए जाएंगे। किसी प्रकार का ड्राइंग या जो साइट के लिए आवश्यक हो आर्किटेक्ट/कम्पनी के इंजीनियर से अनुमोदित कराया जाएगा।
4. सेवायोजक/ आर्किटेक्ट का निर्णय मेक व माडल चुनाव के समय पूर्णता के समय मान्य होगा।

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

पंकज कुमार एण्ड एसोसिएट्स

आर्किटेक्ट, इंजीनियरस, इन्टीरियर एण्ड

लैण्डस्केप डिजाइनर्स

4/81 विवेक खण्ड गोमती नगर लखनऊ 226010

फोन 9839257635

ई मेल: ar.pankajkumar@gmail.com

क्र० सं	कार्य का विवरण	मात्रा	रेट	एमाउण्ट	
1.	अंदर आने का दरवाजा	450.00			
2.	माइल्ड स्टील (हालो सेक्शन एम एस फ्लैट) अंदर आने का दरवाजा (विद साइनेज) विद मैटीरियल एण्ड विद इंस्टालेशन 4M X 2M				
	नया निर्माण बाउण्ड्री वाल				
3.	मिट्टी का कार्य नीव के लिए नाली खोदने के लिए बाउण्ड्री वाल (45 Mts. लम्बाई में बनाई जाएगी) as per DRG	25.00			
4.	मिट्टी भरना प्लिंथ में खेदी गई मिट्टी खड्डों से	25			
5.	अण्डर फ्लोर सीमेंट कंक्रीट लगाना 1.4.8 सीमेंट, कंक्रीट, मोरटार 150 एमएम	6.60			
6.	एण्टी टरमाइट ट्रीटमेंट नीव व फ्लोर के	25.00			

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

	अन्दर					
7.	क्लास150 ब्रिक कार्य इन 1.6 सीमेंट सैंड मोरटार इन फाउण्डेशन प्लिंथ	16.00				
8.	150 एमएम सैण्ड फिलिंग इन अण्डर फलोर	3.00				
9.	क्लास150 ब्रिक कार्य इन 1.6 सीमेंट सैंड मोरटार इन अपर स्ट्रक्चर	21.00				
10.	डी पी सी 40 एमएम मोटी 1.2.4 सीमेंट कोर्स सैण्ड 4 ग्रेडेड स्टोन लगभग और करीग कम्प्लीट पेंटिंग 2 कोट नटफूल बीबी2	10.25				
11.	आर सी सी का काम कालम लिंटेल् बीम 1.2.4 सीमेंट कोर्स सैण्ड ग्रेडेड स्टोन लगभग मूल्य स्टील रीइनफोर्समेंट निकाल कर	6.76				
12.	स्टील 1.25 प्रतिशत आर सी सी बाइण्डिंग फिक्सिंग मिलाकर	8.50				
13.	बाउण्ड्री वाल15 एमएम मोटी प्लास्टर 1.6	135.00				
14.	एम एस ग्रिल बाउण्ड्री वाल डिजाइन के अनुसार 45 मी0 चौडी 4 मीटर ऊची	6.80				
15.	वेदर कोट पेंट बाउण्ड्री वाल में बाहर आगे रोड साइड पीछे 2 कोट पूत्ती प्राइमर पेंट बरजर	186.00				
16.	इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक					
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा

23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						

कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी पार्ट विधि मान्य होगा